हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार 15 दिसम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

<u>प्रश्न संख्याः 750</u>

श्री रमेश चंद ध्वाला(ज्वालामुखी)ः माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 5153 लोगों ने आवेदन किया है, 2095 मामले वित्त विभाग के पास अनुमोदित हैं तथा शेष मामले पाइपलाइन में हैं। ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया था कि 50 वर्ष से ऊपर जिसकी मृत्यु होती है, चाहे वह क्लास-III हो या क्लास-IV, उस केस को करूणामूलक आधार पर कन्सिडर नहीं किया जाएगा। क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेगें कि जो 50 वर्ष का क्राइटेरिया है उसको खत्म किया जाएगा? जब किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसे करूणामूलक आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। जो राइडर लगाया गया है कृपया इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए।

दूसरा, ये मामले कई दिनों से लंबित पड़े हुए हैं और इनकम क्राइटेरिया या अन्य ऑब्जैक्शन्ज के कारण करूणामूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए 14-15 वर्ष लग जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो विभागीय अधिकारी हैं उनको अधिकार दिया जाए ताकि इन लोगों को गुण दोष के आधार नौकरी मिल सके।

तीसरा, किसी को पार्ट टाइम रखा जा रहा है, किसी को दैनिक भोगी और किसी को अनुबंध आधार पर रखा जा रहा है। इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नीति बनाई जाए। करूणामूलक के जो मामले हैं उनमें क्या माननीय मुख्य मंत्री कोई सरलीकरण करेंगे ताकि इन लोगों को नौकरी मिल सके?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे हमने उत्तर बहुत विस्तार से दे दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जो आवेदन आए हैं, वे 5153 आए हैं। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं । जो आपने कहा कि 2095 का नम्बर है वित्त विभाग के पास भी है और उसे अनुमोदित भी कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सच है कि बहुत सारे मामले जो इसमें आते हैं जिनमें औपचारिकताएं अपेक्षित होती हैं वे पूरी नहीं होती और कुछ मामले औब्जर्वेशन के कारण वापिस हो जाते हैं। इस प्रकार से जो एक नम्बर है वह लगभग 2051 का है। तीसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नीतिगत विषय की बात कही है। यह बात सच है कि करूणामूलक आधार पर जो नौकरी के लिए हिमाचल प्रदेश में आवेदन आते हैं। उनमें से कुछ परिवार उन व्यक्तियों पर निभर होते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में मानवीय दृष्टिकोंण उसमें बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान में जो हमारे नियम हैं उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। मैं पढ़ कर सुनाता हूंः-

करूणामूलक आधार पर रोजगार किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में जो हमारे नियम कहते हैं उस आधार पर मैं कह रहा हूं। अमूमन उन्हीं आश्रितों को रोजगार देना बनता है जिसके परिवार की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय है। करूरणामूलक आधार पर नौकरी सरकार की नीति के अनुसार अत्यंत निर्धन परिवारों के आश्रितों को प्रदान की जाती है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में इस तरह की नीतियों का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहना भी उचित रहेगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी नीतियों के लिए आश्रितों का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह नियमों में नहीं है कि उनका यह अधिकार ही है। जो परिवार अत्यंन निर्धन है उन परिवारों को इसमें शामिल करने की बात अभी तक है और माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा गया है कि ऐसी नियुक्तियों से अन्य प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह भी उसमें साथ में कहा गया है।

लेकिन मानवीय आधार पर समिति नियुक्त करना संभव है यह बात भी साथ में कही गई है। अध्यक्षक्ष महोदय, करूणामूलक आधार पर रोजगार नियमित दैनिक वेतन भोगी और अनुबंध पर नियुक्त मृतकों के आश्रितों को ही दिया जाता है, बशर्त है 50 वर्ष से पहले उनकी मृत्यु हो। उनके पात्र आश्रितों को यह नौकरी देने का प्रावधान है। चिकित्सा आधार पर सेवा निवृति होने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। यह थोड़ा सा मैंने नियमों को पढ़ कर माननीय सदस्य को अवगत करवाया है वैसे इसमें बहुत ज्यादा जानकारी दी है सदन के समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसे पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। अभी तक जो प्रावधान है उसका मैंने जिक्र किया है। साथ ही माननीय सदस्य ने यह भी जिक्र किया कि जो अच्छी नौकरी पर थे लेकिन उसके बावजूद परिवार वालों को उसमें दैनिक वेतन भोगी,चतुर्थ श्रेणी या पार्ट टाइमर की बात माननीय सदस्य ने कही है।

15/12/2018/1110/RG/HK/1

यह बात उस परिवार पर जिसके सदस्य को नौकरी देनी है, निर्भर करती है कि परिवार के किस सदस्य को नौकरी देनी है। क्योंकि कई बार परिवार में तीन या चार बच्चे होते हैं, उनमें से परिवार यह अपने आप तय करता है कि परिवार के किस सदस्य को नौकरी देना उचित रहेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार अपनी सहमति से यह तय करते हैं। उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देते समय इस बात पर भी विचार करना पड़ता है कि उस सदस्य की शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एस.डी.ओ. के पद है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य क्वालीफाइड नहीं है, तो उसको उसीके पद पर लगाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी योग्यता के आधार पर आमतौर पर उनको नौकरियां दी जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 50 साल के राइडर के बारे में बात कही कि जो 50 साल की इसमें कंडीशन लगी है। तो हम भी इस बात को महसूस करते हैं और बहुत सारे मामले हमारे सामने इस प्रकार के आते हैं। आप जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष भी ऐसे मामले आते होंगे कि पचास साल, एक महीने या पचास साल एक दिन में किसी की मृत्यु

हो गई, तो भी वे पात्र नहीं हैं। इसलिए **इस सारे मामले में जो वर्तमान में नीति है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।** मैंने इस बात को पहले भी यहां कहा है कि कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि नौकरी लेना उनका अधिकार नहीं है। **लेकिन हमें यह आवयश्यक लगता है कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस नीति में कुछ परिवर्तन किया जाए ताकि बहुत ही गरीब परिवार जिनको मदद की आवश्यकता है और जिनके परिवार में रोटी-रोजी का कोई सहारा नहीं रह गया है, उनको किसी-न-किसी रूप में कोई मदद मिले।**
अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सारी प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है। इसको सरल करने के लिए कोई विचार करेंगे। जब इस नीति को हमने ठीक करने की बात कही है तो उसमें इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जिसको लाभ मिलना है, तो लाभ मिलने में विलम्ब न हो। हम जितनी जल्दी उस परिवार को राहत दे सकते हैं, जिसको मदद की आवश्यकता है, उसको मदद देने की हम कोशिश करेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में दो लड़कों की पम्प हॉऊस में करेंट लगने से मृत्यु हो गई। आज उस परिवार को न कोई पेन्शन है, न कोई उसके पास पैसा है और न ही करुणामूलक आधार पर उसके किसी सदस्य को कोई नौकरी मिली है। तो ऐसे मामलों में गुण-दोष के आधार क्या टॉप प्रायोरिटी पर नौकरी दी जाएगी? कितने लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई है, इसकी संख्या तो इसमें दी नहीं है? लेकिन कुछ ऐसे मामले वित्त विभाग के पास पड़े हैं या उनके विचाराधीन हैं लेकिन बाकी के मामलों में क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं? आप पचास साल के ऊपर के मामलों में नीति के बारे में कह रहे हैं, तो क्या ऐसा आश्वासन आप यहां देंगे कि ऐसे मामलों में कुछ ही दिनों में कोई नीति बनाकर ये हारनेस केस कंसीडर किए जाएंगे और विशेष कर ऐसे मामलों में जिनके परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं या किसी परिवार में विधवा महिला है, उनको न कोई पेंशन मिल रही है और न ही कोई सेलरी मिल रही है। तो क्या ऐसे मामलों को टॉप प्रायोरिटी पर कंसीडर किया जाएगा?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता ज़ाहिर की है, हम उनकी बात से सहमत हैं। यह परिस्थिति इनके क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को

मिली है। लेकिन मैंने कहा है कि हम मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में इस नीति में कुछ परिवर्तन करने की मन्शा ज़ाहिर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से

15/12/2018/1115/MS/HK/1

जो प्रश्न है उसका उत्तर उसमें समाहित है। जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कब तक करेंगे, तो इसमें समय निर्धारित करना कठिन है लेकिन जो अगला हमारा वित्तीय वर्ष होगा, क्योंकि पॉलिसी को नये सिरे से बनाने के लिए आप लोगों की ओर से तथा अन्य लोगों की ओर से भी बहुत से सुझाव आए हैं तो उन सुझावों का समावेश भी उस नीति में करना है इसलिए उसमें थोड़ा समय लगेगा। सुझावों के लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। हम अगले वित्तीय वर्ष तक इसको जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे।

श्री अरूण कुमार(नगरोटा): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रश्न का विस्तारपूर्वक जवाब दे दिया है। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे केसिज हैं जिनमें एक्सीडेंटल डैथ हुई हैं। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में एक व्यक्ति जोकि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत्त था, उसकी नूरपुर में एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई थी। उस व्यक्ति के ऊपर ही उसके माता-पिता भी आश्रित थे। यह बात भी है कि 50 वर्ष की आयु के बाद आश्रितों को नौकरी देने में कुछ कठिनाइयां हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आयु-सीमा को बढ़ाने की कृपा करें तथा जिन केसिज में अदालत द्वारा आदेश हुए हैं, वे भी अभी तक लम्बित पड़े हैं जबकि कुछ लोगों ने अदालत से भी केस जीते हुए हैं। जिन लोगों को करूणामूलक आधार पर नौकरी मिलनी है इसमें बहुत सारे लोग हैं। बहुत संख्या में इस हेतु लोग हमारे पास आते भी हैं इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आपका सरल स्वभाव है और आप हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं तो इस विषय को इसी पीड़ा के तहत समझकर इसमें कुछ आवश्यक संशोधन करके इसका सरलीकरण किया जाए ताकि आश्रितों को रोज़गार मिल सके।

अध्यक्षः यह उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे ही दिया है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कह दिया है कि जब नीति बनाई जाएगी तो मानवीय दृष्टि से इन चीजों का उसमें समावेश हो, उस दृष्टि से हम कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र में भी इस तरह के मामले हैं। निश्चित रूप से एक्सीडेंटल और अन्य कुछ केसिज में मामले अदालत में जाते हैं और अदालत के निर्णय हमारे समक्ष भी आते हैं। मुझे ऐसे केसिज का एग्जैक्ट नम्बर इस वक्त ध्यान में नहीं है कि ऐसे केसिज का कितना नम्बर है लेकिन उसके बावजूद उनको प्राथमिकता के साथ हम करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि हमने कह दिया है कि मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर नीति में उन सारी बातों का हम समावेश करने की कोशिश करेंगे जिसमें 50 साल की उम्र के संदर्भ में भी होगा। उसके साथ-साथ और चीजों को लेकर भी जहां ऐसे परिवारों की ज्यादा मदद हो सके, जल्दी मदद हो सके, हम करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्षः वैसे सारा विषय आ गया है और आश्वासन भी आ गया है। अगला अनुपूरक प्रश्न श्री नन्द लाल जी पूछेंगे।

श्री नन्द लाल(रामपुर)ः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात तो मान ली है कि नीति में जो भी संशोधन करना होगा, वह किया जाएगा। मगर मैजोरिटी केसिज में हमने यह देखा है कि हम जब भी पूछते हैं कि केस कहां है तो कहते हैं कि केस फाइनैंस में गया है। क्या हरेक विभाग में मॉनिटरिंग करने वाला कोई आदमी है जो देखे कि लोक निर्माण विभाग से कितने केसिज गए और कितने निकले? कुछ फॉलोअप एक्सपेडाइट करने के लिए do we have any system here? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा कम्पैशनेट ग्राउंड पर जो किसी के बच्चे को नौकरी मिलती है, वह किसी के परिवार के व्यक्ति के मरने के बाद मिलती है उसमें भी जो क्राइटेरिया बता रहे हैं कि जो अति गरीब है उसको पहले और दूसरे को बाद में मिलेगी। मैं यह समझता हूं कि जिसके बच्चे को करूणामूलक आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, तो वह गरीब है या अति गरीब है but he has lost somebody, किसी के बाप की मृत्यु हो गई है तो उसके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए this has to be incorporated in the policy, जो आप नीति लाएंगे। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है मेरे विस्तार से उत्तर देने के पश्चात इन सारी बातों का किसी-न-किसी रूप में जवाब आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक तो इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है कि यह टाइम-बाउण्ड है लेकिन जब केस नीचे से भेजा जाए,

15.12.2018/1120/वाईके/जेके/1

जल्दी उसको मॉनिटरिंग कर दें, यह रूटीन में नहीं आता है। इसकी वजह से इसमें विलम्ब होता है। विलम्ब होने के साथ-साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक कागज रह गया फिर केस वापिस जाता है। डिपार्टमैंट से चिट्ठी जाती है कि आपके इस मामले में यह कागज नहीं पाया गया, उसको पूरा करें। फिर वे लोग उस कागज को पूरा करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही पीड़ादायक है। एक तो वह परिवार पहले ही परेशानी के दौर से गुजर रहा होता है, कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा होता है और उसके साथ-साथ उसे एक-एक कागज को बार-बार दोड़ाना, यह सचमुच पीड़ादायक है। हम आने वाले समय में जो नीति बनाने की सोचेंगे तो इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उस परिवार के सदस्य को भागदौड़ में ही वक्त ज्यादा न गंवाना पड़े। इसके साथ-साथ जो इसकी मॉनिटरिंग का आपने यहां पर सुझाव दिया उसका मैकेनिज्म डवैल्प करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्षः इसमें सारा उत्तर आ गया है । अगले प्रश्न भी लेने हैं। अन्तिम सप्लिमेंटरी श्री नरेन्द्र ठाकुर।

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पहले भी पूछा गया कि कम्पैशनेट गाउंड पर सबको तो नौकरी मिलती नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो एक्सैप्शनल केसिज़ हैं, उनको नौकरी दी जाती है। क्या ऐसी कोई कैटगरी डिफाइन की है कि किस कैटगरी को नौकरी दी जानी है?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि जो अत्यन्त निर्धन है, वही मुझे लगता है कि अभी तक तो वह है लेकिन इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। कई जगह अत्यन्त निर्धन का अभिप्राय क्या लिया जाए, वह एक कठिन बात है तो ऐसी परिस्थिति में हम आने वाले समय में जो पॉलिसी है उसको और ज्यादा क्लीयर करेंगे उसकी आवश्यकता रहेगी। यह बात जरूर है कि जिसकी आय सीमा जो अभी हमारे पास है at present, income less than Rs. 1.5 lakh यानि डेढ़ लाख रुपए से कम जिसकी आय है ,उसको ही इस श्रेणी में लिया गया है।

प्रश्न संख्याः 1065

श्री सुख रामः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें कहा गया है कि वर्ष 2010-11 में घनौली-देहरादून वाया बद्दी-नालागढ़-जगाधरी-सूरजपुर-कालाअम्ब-पांवटा साहिब के सर्वेक्षण को भी प्रस्तावित किया गया था। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि इसमें आगे कोई कार्रवाई हुई है या नहीं यानि आगे यह बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? दूसरे, जो पांवटा शहर है वहां पर गुरू गोबिन्द सिंह गुरूद्वारा साहिब है और बहुत ऐतिहासिक गुरूद्वारा वहां पर है। डी0आर0डी0ए0 का वहां पर बहुत बड़ा प्रोजैक्ट लग रहा है, आई0आई0एम0 वहां पर है और इण्डट्रियल एरिया है। जगाधरी से पांवटा 40 किलोमीटर पड़ता है और साथ-साथ वहां पर आजादी से पहले की रेलवे लाइन है। सहारनपुर से पांवटा साहिब 35 किलोमीटर पड़ता है। चार दशक से वहां पर रेलवे लाइनें हैं और 45 किलोमीटर दूर देहरादूर से पांवटा पड़ता है। ये जो प्रस्तावित है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पांवटा साहिब गुरू गोबिन्द सिंह जी की बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है इसलिए कोई यहां से नई प्रस्तावना भेजेंगे कि पांवटा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए? तीन जगह से रेलवे लाइन नजदीक-नजदीक पड़ती है। बहुत लम्बा सिस्टम है और पता नहीं हमारे जीवित होते हुए कभी वहां पर रेलवे लाइन आएगी भी या नहीं? क्या यह नई प्रस्तावना आप इस 30-40 किलोमीटर की भेजेंगे? आजादी से पहले की रेलवे लाइन जगादरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही पीड़ा का विषय हम हिमाचल वालों के लिए है। रेलवे लाइन आजादी से पहले जहां पर पहुंची थी, लगभग अभी तक वहीं है लेकिन थोड़ा ऊना की तरफ बढ़ी है। उसके साथ-साथ हम इस मामले को ले कर पूरे देश भर में कभी भी प्राथमिकता में नहीं आ पाए।

15.12.2018/1125/SS-HK/1

हम इस बात से भी सहमत हैं कि मामला एक बार नहीं अनेक बार अलग-अलग सरकारों के माध्यम से केन्द्र सरकार से उठाया गया। लेकिन रेल निर्माण का जो विषय है वह रेल मंत्रालय भारत सरकार करती है। हिमाचल जैसे प्रदेश में हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यहां रेलवे का नैटवर्क बिछाना सरल काम नहीं है, कठिन काम है। जहां तक माननीय सदस्य जी ने पूछा है, घनौली-देहरादून वाया बद्दी-नालागढ़-जगाधरी-सूरजपुर-कालाअम्ब-पांवटा साहिब रेलवे लाइन के सर्वेक्षण को भी प्रस्तावित किया गया था। लेकिन उसके बाद उसमें प्रगति नहीं हुई है। अब हम इस बात से भी सहमत हैं कि कनैक्टिविटी के लिए पूरी केन्द्र सरकार आदरणीय मोदी जी नेतृत्व में बहुत फोकस करके काम कर रही है, चाहे वह फोरलेन की बात है, चाहे वह नेशनल हाइवे की बात है, चाहे वह बाई एयर कनैक्टिविटी की बात है। उस दृष्टि से पांवटा साहिब बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान है। उसके साथ-साथ पांवटा साहिब का धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्व है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से भी सहमत हूं कि वहां रेलवे नैटवर्क को बिछाने या आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है क्योंकि उसका काफी पोरशन मैदानी इलाका पड़ता है। उसमें रेलवे नैटवर्क को आगे बढ़ाने में बहुत कठिनाई नहीं है। हम इस बात को ले करके जो आपने सुझाव दिया केन्द्र सरकार के समक्ष ज़रूर रखेंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय केन्द्रीय रेलवे मंत्री हिमाचल प्रदेश आए थे। उनके साथ बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। हमने कहा कि बहुत ज्यादा हमने रेल के बारे में बातें कीं लेकिन बातें सिर्फ बातें रह गईं। हमने व्यावहारिक रूप से उनसे निवेदन किया कि आप हमको बताईये, जो किया जा सकता है। उसके बारे में आप ज़िक्र करें कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉडगेज के संदर्भ

में अभी वक्त लगेगा क्योंकि जितनी बजट की रिक्वायरमैंट पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन को बिछाने के लिए है, उसमें टनल्ज़ बनेंगी, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी, वह एक कठिन काम है, उसके लिए वक्त लग सकता है। लेकिन जो हमारे पास लॉ हैंगिंग फ्रूट है जिसको जल्दी किया जा सकता है उस दृष्टि से अगर हमको कुछ करने की आवश्यता होती है तो वह कालका से शिमला और जोगिन्द्रनगर से पठानकोट रेलवे लाइन है। ये जो दो हमारी नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज करने की बात है, उस पर जब बात करने के लिए आए तो हमने दोनों पर बात करके कुछ रास्ता निकालने की बात की कि इस पर सफ़र कैसे कम हो सके। उस दृष्टि से हमने सुझाव दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ बात करने के बाद कुछ कहा है कि उसमें कुछ करने की बात है। जिसका मैं बहुत विस्तार से ज़िक्र नहीं करना चाहता। सचमुच में अब तो हमारी मुश्किल यह है कि रेल का ज़िक्र करने से भी डर लग रहा है क्योंकि ज़िक्र इतना हो गया, लेकिन वास्तव में जमीन पर हुआ कुछ नहीं है। मैंने उनको कहा है। व्यावहारिक पक्ष जो होगा, वे उसमें करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक तो कालका-शिमला का समय कम हो और उसमें हम बोगीज़ नई टैक्नोलॉजी के साथ बनाकर दें ताकि वहां पर अच्छी तरह से आने-जाने की सुविधा हो सके। उसके साथ-साथ में जोगिन्द्रनगर से पठानकोट की दृष्टि से मैंने उनको कहा कि आप विज़िट करके आईये। वे जोगिन्द्रनगर आए और हम भी साथ में गए, जोगिन्द्रनगर से कांगड़ा तक रेलवे ट्रैक के ऊपर से उन्होंने विज़िट किया। उन्होंने सारे अधिकारी धर्मशाला बुलाए हुए थे और विज़िट करने के बाद उन्होंने मीटिंग भी की। उन्होंने आदेश दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका सार्थक परिणाम होगा। जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि आपके क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ा जा सकता है। आप तीन जगह से बता रहे हैं कि यहां से भी जोड़ा जा सकता है और वहां से भी जोड़ा जा सकता है। आप देहरादून से भी कह रहे हैं और उसके साथ अन्य जगह से भी कह रहे हैं। सबसे नज़दीक प्वाइंट जो रेलवे का है उस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो बद्दी-नालागढ़-जगाधरी-सूरजपुर-कालाअम्ब-पांवटा साहिब रूट है वह पंजाब से होकर आयेगा। यह काफी लम्बा रूट है। जहां से नियरैस्ट प्वाइंट हो सकता है, हम आने वाले समय में इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर कोई नियरैस्ट प्वाइंट पांवटा

साहिब को जोड़ने के लिए मिलता है उस प्रस्ताव को हम केन्द्र के समक्ष रख सकते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि वायदा तो नहीं है लेकिन हमारा इरादा ज़रूर है।

15.12.2018/1130/केएस/एजी/1

श्री परमजीत सिंह (दून): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो बद्दी का क्षेत्र है, उसमें रेलवे विभाग से 226 करोड़ रु0 आ चुके हैं। 83 करोड़ रुपया वापिस चला गया क्योंकि पहले जो प्रपोज़ल थी, वह चण्डीगढ़ से बद्दी थी। सारा सर्वे हो चुका है, हिमाचल सरकार ने ही जमीन एक्वायर नहीं की। हरियाणा सरकार ने उसमें पूरी पेमेंट कर दी है। हरियाणा सरकार का बद्दी के लिए 18 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र आता है और हिमाचल का सिर्फ डेढ़ या दो किलोमीटर का उसमें क्षेत्र आता है। मैं इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 किलोमीटर के लिए जो हिमाचल गवर्नमैंट ने पैसा देना है, वह भी जमा हो चुका है सिर्फ जमींदारों के साथ सैटलमैंट नहीं हो रही है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए । उसमें रेलवे विभाग का, सैंटर गवर्नमैंट का और हिमाचल सरकार का पैसा भी जमा है इसलिए मेरा निवेदन है कि सैटलमैंट जल्दी से जल्दी किया जाए।

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पैसे का जिक्र किया, इसमें लगभग 88 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार ने भी दिए हैं लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि वहां पर जमीन बहुत ही मंहगी है। उस जमीन का कॉम्पेन्सेशन बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से यह कठिन हो गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाइन के भू-अर्जन का कार्य बातचीत के माध्यम से असफल होने के उपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस रेल लाइन के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण का कार्य नये भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाएगा। उपायुक्त, सोलन को नये भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत राजस्व कागज तैयार करने के लिए कहा गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां जमीन की कीमत लोगों ने इतनी ज्यादा बढ़ा दी है उसके कारण सर्कल रेट में भी काफी ज्यादा इन्क्रीज आई है जिसके

कारण कोई भी डवैल्पमैंटल प्रोजैक्ट जो वहां आ रहे हैं, चाहे वह फोर लेन का है या रेलवे का है, इसमें बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है । बहुत ज्यादा पैसा कॉम्पेन्सेशन में जा रहा है इसलिए यह चिंता का विषय है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे स्तर पर जो करने का होगा, हम कोशिश करेंगें। वहां जो लोग रेट मांग रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख रुपये प्रति बीघा मांग रहे हैं। क्योंकि रेलवे का ट्रैक वहीं से जाएगा और उनकी जितनी रिक्वायरमैंट होती है, वह जमीन उनको देनी ही पड़ती है। चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो उसमें एक इंच भी कम नहीं होनी चाहिए। ये कठिनाइयां इसमें आ रही है लेकिन उम्मीद से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सब ठीक होगा।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी विस्तृत जवाब दिया है और रेल को ले कर हकीकत की रेल और सपनों की रेल यह लगातार प्रदेश में चल रहा है। हमारे दो सांसद तो रेल पर सवार हो कर ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। एक ऊना से हमीरपुर की रेल और एक जोगिन्द्रनगर की रेल। जोगिन्द्रनगर के बारे में पहले कहा कि ब्रॉडगेज बनाएंगें । मुख्य मंत्री जी का जो केंन्द्रीय मंत्री जी के साथ सर्वे हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि हैरिटेज के नज़रिये से उसको करेंगें। क्या मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करेंगें कि क्या अब जोगिन्द्रनगर की ब्रॉडगेज का मसौदा समाप्त हो गया है? दूसरे, ऊना से हमीरपुर की जो रेल लाइन है, वैसे तो अब चुनाव का समय है, अब तो सपनों की रेल काफी चलेगी लेकिन ऊना से हमीरपुर की रेल की क्या स्थिति है?

15.12.2018/1135/av/ag/1

और आपने फैक्टर-II का वायदा भी किया जो कि आपके विज़न डॉक्युमैंट में है। आपने जब इतना बड़ा वायदा कर दिया कि हम फैक्टर-II के अनुसार अधिग्रहण करेंगे तब यह सवा करोड़ रुपये की वैल्यू निकलेगी। ये आप द्वारा किए गए वायदे हैं और आपको पूरे करने हैं। यहां पर जैसे माननीय सदस्य परमजीत सिंह जी ने कहा कि बद्दी में रेल पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा नहीं, तो क्या एक औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते आप बद्दी-नालागढ़ रेल लाइन के लिए पूरी ताकत लगायेंगे ताकि वहां से कमर्शियल ऐक्टिविटीज ठीक ढंग से हो पाये। यदि अंग्रेज हिमाचल प्रदेश में रेल नहीं पहुंचाते तो मुझे लगता है कि शिमला और कांगड़ा में कभी रेल पहुंचनी ही नहीं थी, यह तो अंग्रेजों ने पहुंचा दी। यहां से

केवल चार सांसद है तो हिमाचल प्रदेश से कभी कोई रेल मंत्री नहीं बनेगा। अब सारा दारोमदार मुख्य मंत्री जी पर है कि रेलवे लाइन को लेकर ये दिल्ली में कितनी पैरवी करते हैं। इस रेल को किसी भी ढंग से सपनों से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए और आप द्वारा अब तक इस संदर्भ में क्या-क्या प्रयास किए हैं, इस बारे में बताया जाए?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो काम कठिन है वह कठिन है और रेलवे के सैक्टर में हिमाचल प्रदेश को कभी भी प्राथमिकता नहीं मिली और आज भी नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर हमने जो प्रयास किए हैं उस बारे में आप कई बार बहुत ज्यादा आशंकित होते हैं। आपको कभी-कभी उम्मीद भी रखनी चाहिए और पोजिटिव सोचना चाहिए। इस मामले को लेकर हमेशा बात होती रही है और हमारे सांसद भी इस बात को पार्लियामैंट में लगातार उठाते रहते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं आपकी पार्टी के सांसद भी कहते रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे केंद्रीय रेल मंत्री माननीय गोयल जी आए थे और जो सर्वेक्षण की बात कही उसमें एक एसपैक्ट यह था कि जोगिन्द्रनगर से लेकर पठानकोट तक शायद लगभग 175 किलोमीटर की दूरी है, मुझे अभी इसकी इग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। मगर अभी जोगिन्द्रनगर से पठानकोट पहुंचने के लिए 9 घंटे का समय लगता है। हमने उनसे कहा कि यह इतना सुंदर ट्रैक है। इस ट्रैक में रेल में बैठकर एक तरफ बर्फ से ढकी हुई हमारी धौलाधार दिखती है जो कि पर्यटन के लिए आने-जाने का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र हो सकता है। आज जो लेटैस्ट टैक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ इम्प्रूवमैंट हो सकती है। कई जगह कर्व्ज की इम्प्रूवमैंट हो सकती है और इसके अलावा इसमें और क्या-क्या किया जा सकता है इस बात के लिए हमने उनसे आग्रह किया। उन्होंने फिर इसको देखने की इच्छा जताई, उन्होंने इसको देखा भी। जोगिन्द्रनगर और बैजनाथ के बीच में एक पोर्शन पर कर्व ज्यादा है और उसके कारण वहां पर रेल की स्पीड बहुत कम हो जाती है। उसके बाद बैजनाथ से आगे के पोर्शन में ट्रेन की स्पीड भी बढ़ती है और ट्रैक भी काफी हद तक सीधा है। उन्होंने कहा कि वे इसको हैरिटेज के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से और ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। उसके मद्देनजर एक नई टैक्नोलॉजी के माध्यम से एक तो ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की बात कही तथा दूसरी बात यह कही कि हमारी ट्रेन के डिब्बे काफी पुरानी टैक्टनोलॉजी के हिसाब से बने हैं। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब कम वेट व विस्टाडोम कोच लगाये जायेंगे जिसको शिमला में ट्रायल बेस पर

शुरू भी कर दिया है। उसमें अंदर आदमी बैठता है और उसका पूरा कवर्ड शीशा होता है जिसमें बाहर का व्यू ओपन दिखता है।

15.12.2018/1140/TCV/DC/1

और बाहर का व्यू बिल्कुल साफ दिखता है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग बाहर से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, वरना आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है। कालका से शिमला तक आने में 5 घण्टे लगते हैं और जोगिन्द्रनगर से पठानकोट के लिए 9 घंटे लगते हैं। इसलिए यदि कोई बाहर से यहां आना चाहता है, तो उसके लिए हमें अट्रैक्शन क्रियट करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने यह तरीका चुना है और कालका से शिमला तक एक बोगी जिसको विस्टाडोम कहते हैं, वह ट्रायल के तौर पर शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यह प्रयास सफल होगा। जहां तक इसको ब्रोडग्रेज करने की बात है, उनका कहना है कि पुरानी लाइन को नहीं छेड़ा जा सकता है। यदि इस लाइन को ब्रोडगेज़ करना है तो इस लाइन से हटकर सर्वे करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है लैंड एक्वाजिशन भी करनी पड़े। यदि पुरानी लाइन को ब्रोडगेज करते हैं तो सारी टनल्स दोबारा से बनानी पड़ेगी और जो ट्रेक अभी बना हुआ है, वह भी नये सिरे से बनाना पड़ेगा। इसमें खर्चा भी अधिक आएगा। यह जब होगा तब इस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी जो किया जा सकता है, वह हम कर रहे हैं। जोगिन्द्रनगर-पठानकोट रेवले लाइन के बारे में उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि यह लाइन ब्रोडगेज नहीं हो सकती है, लेकिन वह एक अलग प्रोजेक्ट है और उसके बारे में अलग से कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हम प्रयासरत है। हमारा प्रयास बहुत ईमानदार प्रयास होता है और जब प्रयास ईमानदार होता है तो सफलता उसमें अवश्य मिलती है। आप कई बार कहते हैं कि दिल्ली जाता हूं, परिक्रमा करता हूं । लेकिन वह प्रयास एक ईमानदार प्रयास है और उसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश को पैसा मिला है। हमने केन्द्र सरकार को कई प्रोजेक्ट बनाकर भेजे हैं और उनको सैंक्शन करवाया है। मैं उम्मीद करता हूं, उसमें आप सबका भी सहयोग मिलेगा। यह रेल देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहुंचे और हम उसका अभिनन्दन करें। हमारे पूर्व में रहे रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने सुरक्षा की दृष्टि से लेह तक रेल लाइन का सर्वे किया है। हम उम्मीद करते हैं कि एक व़क्त आएगा जब हम लेह तक रेल पहुंचाने की स्थिति में होंगे। एक समय था जब रोहतांग की टनल पर भाषण होता था लेकिन आज टनल दोनों तरफ से जुड़ गई है और यह टनल बनकर तैयार हो रही है। वर्ष 2019 के

नवम्बर-दिसम्बर तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जब उम्मीद के साथ आगे बढ़ा जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है।

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्रीमती आशा कुमारी जी ।

प्रश्न संख्याः 1066

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मेरे चुनाव क्षेत्र की यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और 34-35 करोड़ रुपये की इस योजना को नाबार्ड के तहत मंजूरी मिली थी। लेकिन बाद में शायद जी0एस0टी0 की वज़ह से इसका टेंडर नहीं हो पाया था। जैसा आपने बताया कि अब नई डी0पी0आर0 50 करोड़ रुपये की बनी है यानि 16 करोड़ रुपये की वृद्धि 2 सालों में हो गई है और अभी भी ये डी0पी0आर0 किसी एजेंसी को नहीं गई है। आपने कहा है कि 'the DPR has been reframed and this scheme will be sent to some externally aided agency'. मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि सरकार किसी एजेंसी के बारे में विचार कर रही है और क्या आप ब्रिक्स के तहत भी इसका कार्य करने का विचार रखते हैं?

15-12-2018/1145/NS/DC/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके क्षेत्र की जो पेयजल परियोजना है, वह वर्ष 2016-17 में इनकी प्राथमिकता पर आई है और उसी के उपरांत टैंडर किए गए। इसमें पहली बार जो टैंडर हुआ था, वह इसलिए फाईनलाइज़ नहीं हो सका कि उस समय जो जी0एस0टी0 इंट्रोड्यूस हुआ, वह इसमें शामिल नहीं किया गया था। जिसके कारण टैंडर कैंसल करना पड़ा। दूसरी बार जब टैंडर हुआ तो उसमें ऐसा महसूस किया गया कि इसमें फंडज़ बहुत कम है। मैं माननीय सदस्या को थोड़ा फंडज़ के बारे में बताना चाहूंगा। वर्ष 2016-17 में इसके लिए मात्र 5.50 लाख रुपये की राशि थी। वर्ष 2017-18 में 5.49 लाख रुपये और वर्ष 2018-19 में इस परियोजना के लिए हमने लगभग एक करोड़ रखा था। जब इसका रिवाईज्ड एस्टिमेट बना तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस किया गया कि जो हमारी योजना लगभग 34.69 करोड़ रुपये की थी, ये

लगभग 50.74 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। वर्ष 2014 में नाबार्ड के तहत हर विधान सभा क्षेत्र के लिए सीलिंग लगाई गई कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लगभग 90 करोड़ की राशि के लिए नाबार्ड से पैसा दिया जाएगा। इसमें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग भी शामिल है। उस क्षेत्र में अगर किसी योजना की नाबार्ड से फंडिंग होनी है तो वह भी इसमें शामिल है। मैं, माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में नाबार्ड से लगभग 70.28 करोड़ रुपये की राशि वापिस चली गई है। अगर हम इसको नाबार्ड में भेजना चाहें तो लगभग 70.28 करोड़ रुपये की राशि चली गई है और वहां पर लगभग 19.72 लाख रुपये बचे हुए हैं। फिर इसकी फंडिंग नाबार्ड से भी नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नाबार्ड में भी एक ऐसी स्थिति है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की ही मात्र 1887 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत हो चुकी हैं। इन योजनाओं के लिए अनुमानित धनराशि 800 करोड़ से 900 करोड़ के बीच में चाहिए। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को प्रति वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये मिलते हैं। जो योजनाएं पहले ही नाबार्ड से सैंक्शन हैं, अगर इन्हीं योजनाओं को पूरा करना है तो तीन वर्ष का समय इसी में लग जाएगा। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि यह योजना एक ऐसे क्षेत्र की योजना है, जहां पीने के पानी की समस्या है। इसलिए हमने सोचा कि हम इस योजना के लिए किसी दूसरी एजैंसी से फंडिंग करें। इस दृष्टि से हमने दो फंडिंग एजैंसी चिन्हित की हैं। एक एजैंसी ब्रिक्स है और दूसरी, अभी हमारी लगभग 800 करोड़ रुपये की ए0डी0बी0 से फंडिंग भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। इन दोनों फंडिंग में से हम देख रहे हैं कि जहां से पहले और जल्दी में पैसे आ जाएंगे, वहां से हम इस योजना को शामिल करेंगे।

प्रश्न संख्याः 1067

श्री विक्रमादित्य सिंह (**शिमला ग्रामीण**)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसी कर्मचारी की प्री-मेच्योर रिटायरमैंट सरकार के माध्यम से हुई है और वे 20 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं। वे 10 नवम्बर, 2014 से पहले रिटायर हुए हैं। मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि

They are getting benefits under full pension. जो वर्ष 2014 और 2018 के बीच रिटायर हुए हैं उन्हें Premature Retirement पर कोई भी पैंशन नहीं मिल रही है जबकि वर्ष 2018 के बाद पुनः पूरी पैंशन दी जा रही है। इसमें सुप्रीम कार्ट के जस्टिस डी.के. नागरा की एक रूलिंग है which say that "a Class within a Class cannot be created and there has to be equal yardsticks for these employees". So, I want a clarification on this regard that why particularly these employees from 20, 14 to 18 have not been given the benefits which have been given pre 20-14 and post 20-18. Thank you.

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह लाभ 20 वर्ष की नौकरी छोड़ने के पश्चात् अधिकारियों/कर्मचारियों को मिलता था। उन्हें पूरी पैंशन का लाभ उपलब्ध होता था। इसका इम्पैक्ट यह है कि अधिकारी/कर्मचारी काफी तादाद में हैं और 20 साल की नौकरी के बाद जब उनकी सेवाएं पूरी हो जाती थी तो वे बड़ी तादाद में Premature Retirement के लिए आवेदन करते थे। खासकर जो प्रोफैसनल बैक ग्राउंड के हैं, वे 20 वर्ष की नौकरी का इंतजार करते थे। इसका कारण यह भी था कि उन्हें पूरी पैंशन का फायदा मिलता था और साथ ही उन्हें प्राइवेट सैक्टर या अपना कोई कामकाज करने के लिए अवसर मिल जाता था। इस तरह ऐसी परिस्थिति आई कि जो सक्षम लोग, जिनकी सरकार ने 20 साल तक सेवाएं ली हैं, उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। यह क्रम बनता गया और क्रम बनने की वजह से Premature Retirement का प्रोसैस आगे बढ़ता गया इसलिए इसमें थोड़ा परिवर्तन चाहिए। इस को रोकने का काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया है यह पूर्व सरकार का ही निर्णय है। माननीय सदस्य कुछ कर्मचारियों का जिक्र कर रहे थे कि वे इस फायदे से वंचित रह गए। कर्मचारियों को जितने भी वित्तीय लाभ दिए जाते हैं वे prospective होते हैं, यह retrospective नहीं होते हैं। आपने जो जानकारी मांगी हैउसके लिखित उत्तर की

एक प्रति मैं आपको भेज सकता हूं। मुझे लगता है कि इस उत्तर को अगर मैं यहां पढ़ कर सुनाऊं तो यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः -

हिमाचल प्रदेश सरकार में 15-05-2003 से पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त नियमित कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पैंशन नियम-1972 के अंतर्गत पैंशन के हकदार हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं समय पूर्व सेवा निवृत्ति, नियम-1976 अलग तौर पर बनाए हैं। इन नियमों के अंतर्गत कर्मचारी 33 वर्ष की सेवाकाल से पूर्व सेवा निवृत्ति लेता था तो उसे अनुपातिक पैंशन प्रदान की जाती थी। परंतु दिनांक 01.01.2006 से 10.11.2014 के मध्य यदि कोई सरकारी कर्मचारी समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेता था तो पूर्ण पैंशन प्राप्त करता था। कुछ मामलों में व्यावसायिक, पेशेवर अधिकारी क्रमशः डॉक्टर, इंजिनियर

15.12.2018/1155/बी.एस./एच.के./-1

मुख्य मंत्री जारी .....

और तकनीकी योग्यताओं वाले अधिकारियों द्वारा समय पूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में एकाएक वृद्धि अनुभव की गई है। इन व्यवसायिक अधिकारियों की नियुक्ति से ले करके उनके प्रशिक्षण इत्यादि पर सरकार द्वारा किए गए व्यय को अनदेखा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इनके सेवा पूर्व सेवानिवृत्ति लेने के कारण उन रिक्त पदों को फिर भरने एवं उन्हें प्रशिक्षण दिलाने हेतु सरकार को पुनः धनराशि का व्यय करना पड़ता है। साथ ही उनके प्रशिक्षण के लिए निर्धारित समय की भी आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वरूप विभागों में अनुभवी और योग्य पेशेवरों की कमी होती थी। अतः अनुभवी अधिकारियों की समय पूर्व सुवानिवृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया गया। तथा दिनांक 11.11.2014 को केन्द्रीय सिविल सेवा पैंशन नियम 1972 में संविधान के अनुच्छेद 209 के अंतर्गत संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार में लागू करने हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा पैंशन हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम 2014 को अमल में

लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केन्द्रीय सिविल सेवाएं पैंशन नियम 1972 के नियम 59 (2) के तहत एक प्रावधान डाला है जिसके अनुसार वे सरकारी कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा समय पूर्व सेवानिवृत्ति नियम 1976 के अंतर्गत अपने हित में समय पूर्व सेवा निवृत्ति जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष परंतु 33 वर्ष से कम की नौकरी की हो ऐसे कर्मचारी अनुपातिक (प्रोडाटा) पैंशन के हकदार होंगे । पैंशन के कर्मचारियों को पूरी पैंशन लेने के लिए 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी यह उसमें प्रावधान जोड़ा गया है। सरकार का यह निर्णय सार्वजनिक हित में था । वर्ष 2018 में सरकार ने श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के सहानुभूतिपूर्वक रवैया दिखाते हुए इन कर्मचारियों को केन्द्रीय विविल सेवा पैंशन नियम 1972 के नियम 49 के उपनियम 2 के प्रथम प्रावधान के दायरे से बाहर कर दिया, यह राहत दी गई। क्योंकि इन श्रेणियों में ऐसे पेशेवर शामिल नहीं थे जिनकी नियुक्ति व प्रशिक्षण पर सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है। तदानुसार सरकार ने श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के संबंध में योग्य सेवा के 33 वर्ष पूरा होने पर पूर्ण पैंशन देने की शर्त को अधिसूचना संख्या 3ए3-1/09, भाग 5 दिनांक 12.06.2018 द्वारा हटा दिया। अतः अब यह कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा उपरांत पैशन के पूर्ण हकदार होंगे। यह इश्यू बहुत सैटल्ड है, इसमें ज्यादा चीजों को ले करके कंप्लिकेट नहीं करना चाहिए और कर्मचारियों का हित इसमें है साथ-साथ में सरकार का भी हित है। यह सारी चीजें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्याः 1068

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी) : माननीय अध्यक्ष महोदय जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री ने उसमें अपना पल्ला झाड़ा है। क्योंकि यह टैंपल ट्रस्ट का स्कूल है और ट्रस्ट अपने लैवल पर नियुक्तियां करते है। दूसरा इन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। मैं जानना चाहूंगा कि यह विरोधाभास क्यों है। अगर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आपको कैसे पता चला? मैं इतना कहना चाहूंगा कि अप्रैल महीने में कोई 70 बच्चों ने एप्लाई किया है, अखबार में भी आया

है। जब इंटरव्यू के लिए 3 दिन बाकी बचे तो उसमें इंटरव्यू कैंसिल हो गए। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत है ।

15/12/2018/1200/RG/YK/1

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि यह विभाग आपके पास है। कृपया करके बताएं कि यदि सात पद टीचिंग के एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल में खाली हैं तो बच्चों का क्या भविष्य होगा?

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, यह गैर-अनुदान प्राप्त विद्यालय जिला बिलासपुर में चल रहा है। यह ट्रस्ट का विद्यालय है और ट्रस्ट के ही क्षेत्राधिकार में यह आता है। इसलिए इसमें विभाग द्वारा पद भरने के लिए सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। जो गैर-अनुदान प्राप्त संस्थान हैं, उनमें केवल अनुज्ञा प्रमाण-पत्र, एन.ओ.सी. जब प्रारम्भ में इसकी मान्यता होती है और जब यह खोला जाता है, तब शिक्षा विभाग द्वारा अनुज्ञा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहता। एक अधिकार जो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट ऐजुकेशनल इन्स्टीटियुशन्ज रेगुलेशन ऐक्ट, 1997 में हमारा है। उसके अन्तर्गत हम इसकी इन्सपैक्शन कर सकते हैं। **माननीय विधायक महोदय ने यह मामला हमारे ध्यान में लाया है, मैं इसकी इन्सपैक्शन के लिए ऑर्डर कर दूंगा ताकि उसकी सूचना लेकर हम इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर जो भी सूचना आएगी और इस पर जो भी कार्रवाई होगी, मैं माननीय विधायक महोदय को उससे अवगत करवा दूंगा।**

प्रश्नकाल समाप्त

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश सिंघा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री राकेश सिंघा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करता हूं कि जो इस सदन के नियम हैं उनका पालन किया जाए। मैंने इस सत्र के दूसरे दिन एक रेजोलूशन नियम-62 के अन्तर्गत मूव किया था, लेकिन न तो मुझे यह जानकारी दी गई कि वह रिजेक्ट क्यों किया गया और न ही मुझे बुलाया गया कि मैं उसको संशोधित करूं। वह एक महत्वपूर्ण रेजोलूशन इसलिए था कि अब सर्दी का मौसम आ गया है और हजारों लोगों के बिजली के कनेक्शन बिजली विभाग नहीं दे रहा है जबकि इसके प्रति उच्च न्यायालय की भी डायरैक्शन है कि बिजली और पानी एक फण्डामेंटल राइट है और इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर अपना जजमेंट दें, मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात कह दूंगा और अनुमति नहीं मिलेगी तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष : अभी आगे के विषय लेते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे।

कागज़ात सभा पटल पर

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

Smt. Asha Kumari: Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy each of the Reports of the Committee on Public Accounts:-

i. समिति के **287वें मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 226वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वन विभाग** से सम्बन्धित है;
ii. समिति के **210वें मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 322वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वन विभाग** से सम्बन्धित है;
iii. समिति के **19वें मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 51वां कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और
iv. समिति के **155वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 211वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है।

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी जी नियम-62 के अन्तर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को अमर उजाला व अन्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित शीर्षक "**छात्रवृति घोटाले की जाँच को ठण्डे बस्ते में डालने की तैयारी**" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 250 करोड़ रुपये का जो छात्रवृत्ति घोटाला इस सरकार के ध्यान में आया, सरकार ने इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। यह बहुत ही संगीन मामला था। इन्होंने इसे केवल सी.बी.आई. की तरफ भेज दिया

15/12/2018/1205/MS/YK/1

और लगता है कि वह भी आधे मन से सी0बी0आई0 को भेजा और सी0बी0आई0 ने भी अब इस केस को वापिस भेज दिया है। आज दिन तक इस केस में कोई एफ0आई0आर0 लॉज नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि इसमें जो दोषी लोग हैं जोकि बड़े-बड़े लोग हैं, युनिवर्सिटीज के लोग हैं, उन लोगों को बचाने या भागने का मौका सरकार देना चाहती है इसलिए इस मुद्दे को ठण्डे बस्ते में डालने की तैयारी की जा रही है। एक संगीन मामला होते हुए भी सरकार इसके ऊपर गम्भीर नहीं है। मेरा आरोप यह भी है कि इतने दिनों के अंदर यहां एफ0आई0आर0 तक लॉज नहीं की गई या एस0आई0टी0 के माध्यम से इस केस को करते लेकिन वह भी इन्होंने नहीं किया है। साथ में सबसे बड़ा जो इसके कारण नुकसान हुआ है वह हमारे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्र जो मेडिकल कॉलेजिज, इंजीनियरिंग कॉलेजिज और युनिवर्सिटीज में हैं उनको हुआ है क्योंकि पिछले दो सालों से उन्हें छात्रवृत्ति देना बन्द कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि मामले की गम्भीरता को समझते हुए क्योंकि इतनी बड़ी रकम का घोटाला यहां पर हुआ है, क्या तुरन्त इस पर एफ0आई0आर0 लॉज करेंगे या इसको दुबारा सी0बी0आई0 में भेजेंगे ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो? आपने तो राम राज की बात की परन्तु

आपके जय राम राज में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता को समझें और मुझे आपसे एक आश्वासन चाहिए कि जो दो साल से जन-जातीय और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिली हैं क्या उनको तुरन्त छात्रवृत्तियां रिलीज करेंगे ताकि जो बच्चे गरीब घरों से आकर मेडिकल कॉलेजिज और युनिवर्सिटी में हैं, जिनको आर्थिक तंगी और कंगाली में आगे की पढ़ाई करनी पड़ रही है, उनके बारे में कुछ चिन्तन करेंगे? आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन क्या माननीय मंत्री जी देंगे या माननीय मुख्य मंत्री जी यहां इसके बारे में कुछ अपने विचार रखेंगे? धन्यवाद।

अध्यक्षः इस चर्चा का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री जी देंगे।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने नियम-62 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में जब हिमाचल प्रदेश में जय राम ठाकुर जी की सरकार ने टेकओवर किया तो जन-जातीय और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा ही यह मामला ध्यान में लाया गया था। विशेष रूप से यह आपका बयान था या नहीं था, मुझे पता नहीं है लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी जो जन-जातीय मंत्री भी हैं उनके इस बारे में पूर्व में भी बयान आते रहे हैं और उन्होंने इस बात की ओर ध्यान इंगित किया कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं। उसके कारण विभाग ने इसकी जांच प्रारम्भ की। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, उसमें बहुत ही गम्भीर मामला ध्यान में आया कि बहुत सारे संस्थान पैसा ले रहे हैं। उन संस्थानों ने बिना आधार के छात्रों के अकाउंट खोल दिए हैं और बैंकों से भी पैसा सीधे अपने संस्थान के लिए ले रहे हैं लेकिन जो छात्र हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। एक छात्र के तीन-तीन और चार-चार संस्थानों में नाम दर्ज़ है। इसलिए जब ये सारी चीजें ध्यान में आई तो उसकी हमने प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी ऑर्डर की और उसके बाद जो मामला ध्यान में आया वह बहुत बड़े स्तर का था जिससे हमें लगा कि शायद हिमाचल प्रदेश की एजेंसीज इसकी छानबीन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगी क्योंकि इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी इन्वोल्वमैंट है। इसमें बहुत सारे संस्थान और प्राइवेट युनिवर्सिटीज हिमाचल प्रदेश से बाहर की हैं और इस कारण से हमने मामला माननीय

मुख्य मंत्री जी, मंत्री-मंडल के सदस्यों और सभी उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया और उसमें जब ध्यान में आया तो तय हुआ कि इस मामले को सी0बी0आई0 को भेजा जाए।

15.12.2018/1210/जेके/एजी/1

मैं मामले की पूरी रिपोर्ट आपके ध्यान में ला देता हूं, जो स्टेटमैंट है। "जनजाती व अनुसूचित जाति के वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों के आधार पर प्रारम्भिक जांच शिक्षा विभाग द्वारा की गई तथा 4.9.2018 को शिक्षा विभाग ने सरकार को किसी केन्द्रीय जांच एजैंसी से जांच करवाने हेतु विभाग द्वारा करवाई प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी रिपोर्ट के साथ भिजवाई। दिनांक 12.9.2018 को भारत सरकार के कार्मिक विभाग से यह मामला सी0बी0आई0 जांच हेतु गृह विभाग को भेजा गया। कुछ आपत्तियों के साथ यह मामला वापिस गृह विभाग को आया तथा गृह विभाग के आदेशानुसार 16.11.2018 को छोटा शिमला, पुलिस स्टेशन में एफ0आई0आर0 लॉज़ की गई व 19.11.2018 को शिक्षा विभाग ने गृह विभाग को पूरी सूचना भिजवा दी है। इस बारे में गृह विभाग द्वारा उनके पत्र संख्याः गृह (क)(डी)-35/2018, दिनांक 13.12.2018 द्वारा यह सूचित किया गया है कि छात्रवृत्ति मामलें में पाई गई अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से करवाने बारे आवश्यक कदम उठाने हेतु ही शिक्षा विभाग ने एफ0आई0आर0 नम्बर-0133, दिनांक 16.11.2018 को छोटा शिमला, थाना में दर्ज़ करवाई हैं, परन्तु अभियोग का अन्वेषण प्रारम्भिक स्तर पर है और मामले में महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश पुलिस से वांछित प्राथमिक जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र तथा एफ0आई0आर0 की प्रति उपलब्ध करवाते हुए सचिव भारत सरकार, कार्मिक जन शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से इस बारे में पुनः अनुरोध किया जाएगा कि वे शिमला स्थित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इकाई को मामले की जांच हेतु आगामी निर्देश जारी करें। अतः सन्दर्भित मामले की जांच प्रगति पर है और यह कहना उचित नहीं है कि मामले की जांच ठण्डे बस्ते में डालने की तैयारी की जा रही है। हमने यह रिपोर्ट/जांच इसलिए नहीं की है कि इसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया जाए क्योंकि हम इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहते हैं और इसको पहुंचाएंगे। जहां तक आपने छात्रवृत्ति देने की बात की है, मैं विभाग से इन्क्वायरी करूंगा कि किसको अभी तक दी

जानी थी और उनको नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो उनको दी जाए और आगे भी उनको रैगुलरली छात्रवृत्ति दी जाए।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर दिया है उससे साफ झलकता है कि एक महीने में आप एफ0आई0आर0 की कॉपी तक थाने से नहीं ले पाए। उसी से आपकी मंशा का पता चलता है कि किस तीव्र गति से आप इस केस के बारे में गम्भीर है, पता चलती है। छोटा शिमला, पुलिस थाना सचिवालय के साथ है और वहां से आपको एक एफ0आई0आर0 की कॉपी एक महीने में नहीं मिली। वह कॉपी आपने अभी भी नहीं ली है। फिर उसे आप दिल्ली भेजेंगे और फिर दिल्ली से पता नहीं क्या होगा उतने में तो ये सारे भाग जाएंगे? ये सारे तो नीरव मोदी की तरह ही यहां से भाग जाएंगे। आप क्या इन्हें भागने का मौका दे रहे हैं? क्या आप इसमें गम्भीर है या नहीं हैं? आप एस0आई0टी0 बनाएंगे या नहीं बनाएंगे और क्या आप इसको तेजी से चलाएंगे? दूसरे, अभी आप जो छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं वह क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं इन्क्वायरी करवाऊंगा। आपके ध्यान में है कि छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं मिल रही है? बच्चे कंगाली के हाल पर है। उनकी पढ़ाई में विघ्न पड़ा है। क्या आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि यह छात्रवृत्ति आप कल ही रीलीज़ करेंगे?

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, श्री जगत सिंह नेगी जी जो हमारे सम्माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा भी रहे हैं। इनके ज़माने में जितनी भी हेराफेरी, चोरी और इस प्रकार के भ्रष्टाचार किए हैं, उनके जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके नाम इनको बड़ी अच्छी तरह से याद रहते हैं। इसमें भी शायद आपको ही जानकारी होगी क्योंकि ये आपके ही ज़माने के घोटालें हैं।

यह जनवरी, 2018 में नहीं हुआ है। जनवरी, 2018 में इसकी छानबीन शुरू हुई है। यह घोटाला आपके जमाने का है और इसमें कौन-कौन सी बड़ी मछलियां निकलेंगी, वह आप लोग सोच लीजिए कि किस-किस के यहां से निकलेंगी। वह आप स्वयं ध्यान रखें। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप (श्री जगत सिंह नेगी) बैठिये, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। ...(व्यवधान)...

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

शिक्षा मंत्रीः हमने ऐक्शन भी लिया है। हमने मामला सी0बी0आई0 को भी भेजा है। हम आपके सारे घोटाले बाहर निकालेंगे। मामला सी0बी0आई0 को जा रहा है। आप दोषी व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहां मामला उठा करके उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इनके (विपक्ष) द्वारा उनको बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जब हम सी0बी0आई0 को मामला भेज रहे हैं, एफ0आई0आर0 एक फॉरमैलिटीज़ हैं, एफ0आई0आर0 दर्ज करवानी ज़रूरी थी, वह दर्ज हो गई है। उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो गई है। उन सब को लेकर मामला सी0बी0आई0 को जायेगा तो निश्चित रूप से आज इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि बहुत सारे बड़े-बड़े लोग, इंस्टिट्यूशन्ज़ उसमें फंसने वाले हैं। वे सब-के-सब इनके आदमी हैं। जिस प्रकार से माल्या वगैरह बाहर भागे हैं, इनके ही लोगों के टाइम में यानी इनकी सरकार के टाइम में 9000 करोड़ रुपया बैंकों का लूट करके चले गए। आज हिन्दुस्तान की सरकार ने उनका प्रत्यर्पण करवाने के लिए जो अदालती कार्यवाही थी, वह हमारे हक में हो रही है। हम उनका एक आदमी मिसेल दुबई से ले आए हैं। इस प्रकार की सब चीज़ें हो रही हैं तो ये जान-बूझकर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यह जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के बच्चों की नहीं दी गई, ये सब-के-

सब 2017 से पहले के काम हैं। चाहे इसमें बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे इसमें चंडीगढ़ के कुछ संस्थान हैं या इसमें बाकी लोग इंवोल्वड हैं, अब वे लोग बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार से पॉलिटिकल/ब्यूरोक्रेटिक लोगों के पास हाथ-पैर मार रहे हैं ताकि इस कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि यहां पर मामला उठाया जा रहा है और बिना उत्तर सुने ही बाहर जा रहे हैं। **हम कह रहे हैं कि हम इसकी इंक्वायरी करवायेंगे। लॉजिकल एंड तक हम इस बात को ले जायेंगे। जिन्होंने छात्रवृत्ति में घोटाले किये हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे।** तो हम समझते हैं कि इनको उनको बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमने दो दिन में एफ0आई0आर0 दे दी थी। लेकिन उनकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होनी है। जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसको लेकर मामला सी0बी0आई0 को जायेगा तो उसके लिए एक नियम है। नियम के हिसाब से केन्द्रीय सरकार का जो कार्मिक/गृह विभाग है उनको मामला जायेगा। वहां से वह सी0बी0आई0 को आयेगा। सी0बी0आई0 उसमें अपने व्यक्ति को लगायेगी। अब ये इसमें नयी चीज़ ढूंढ रहे हैं। ये हिमाचल की एस0आई0टी0 बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको सी0बी0आई0 से डर लग रहा है इसलिए जानबूझकर इस प्रकार की बात सदन में कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। माननीय ठाकुर जय राम जी ने पहले ही दिन जब बात इनके ध्यान में लाई गई तो इन्होंने सब को बुलाकर इस पर बातचीत की। इनका सीधा-सीधा मत था कि इसमें जिस भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है वह बचना नहीं चाहिए। इसलिए इस कार्रवाई को क्योंकि इसमें केन्द्रीय एजैंसियां भी बीच में हैं, इसमें बैंक भी हैं, बाहर की इंस्ट्यिूशन्ज़ भी हैं, इसलिए हमारी जो एस0आई0टी0 है या हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की एजैंसीज़ हैं वे इसमें सक्षम नहीं हो पायेंगी। इसलिए इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण एजैंसी को भेजा जाए। इसी वजह से यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण एजैंसी को भेजा गया है। **मैं समझता हूं कि उसके द्वारा पूरी कार्रवाई की जायेगी और कार्रवाई करने बाद जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा।**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए।)

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन तक अगर हम इन छः दिनों के सत्र में देखें तो कोई इस प्रकार का विषय या इस प्रकार का माहौल सदन में खड़ा करना हो, जहां बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी कार्यवाही चल रही हो,

15.12.2018/1220/केएस/डीसी/1

उसमें अगर बाधा डालनी हो तो एक आदमी को यह काम दे रखा है और ये उस काम को बखूबी करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यह इतना गम्भीर मामला है और जैसे ही इसको हमारे ध्यान में लाया गया, उसी वक्त हमने निर्णय लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे संस्थान प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी है। पहले विचार चल रहा था कि इस सारे विषय पर विजिलैंस इन्क्वायरी करें। हम पुलिस विभाग के माध्यम से इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से विचार कर रहे थे लेकिन जब हमें बाद में मालूम हुआ कि प्रदेश से बाहर भी संस्थान हैं और उनमें बहुत सारे फाइनैंशियल इंस्टिट्यूशन्ज़ हैं, उनमें बैंक भी हैं जहां तक इस इन्क्वायरी की आंच जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में यह जांच स्टेट की एजैंसी से करवाना उचित नहीं था। हमने सोच-समझकर निर्णय लिया कि यह बहुत बड़ा मामला है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के नैक्सस केवल हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है । बहुत सारे प्रदेशों में इससे भी शायद बड़े घपले इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत हुए होंगे, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए हमने कहा कि इसको हमको सीमित तरीके से नहीं देखना है। हमने निर्णय लिया कि इसको सी0बी0आई0 को इन्क्वायरी के लिए देना चाहिए ताकि दूध

का दूध और पानी का पानी हो और जो भी प्रभावशाली लोग इस मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने इस मामले को सी.बी.आई. के लिए भेजा, वहां से रैफ़रैंस वापिस आया कि एफ.आई.आर. स्टेट पुलिस को करनी पड़ेगी। हमने एफ.आई.आर. दर्ज की लेकिन एक टैक्निकल चीज़, जिसका उसमें ज़िक्र आया कि इसमें छोटी सी एफ.आई.आर. करने के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमको चाहिए जिसको बेस बनाकर वे आगे फर्दर इन्क्वायरी के लिए प्रोसैस करेंगें। माननय अध्यक्ष महोदय, वह सारी फॉर्मेलिटीज़, टैक्निकल चीजें पूर्ण करने को है। हम चाहते हैं कि कोई भी काम जल्दबाज़ी में गलत न हो। जो भी काम किया जाए, कानून के हिसाब से नियमों के अनुसार किया जाए और उसमें जिन्होंने गलत किया है, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। ये सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने में थोड़ा वक्त लग गया लेकिन मुझे यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि सारी चीज़ को इस प्रकार से कहा जा रहा है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हां, बहुत सारे लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि यह ठंडे बस्ते में चला जाए लेकिन यह ठंडे बस्ते में जाने वाला काम नहीं है ।बहुत सारे संस्थान शायद इन लोगों को भी सम्पर्क कर रहे होंगे क्योंकि यह घपला हमारी सरकार के समय का तो है ही नहीं । हमने तो अपने समय में इस केस को पकड़ा। कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक सत्ता में रही। पीछे भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, आप अपने समय में किसी भी समय का केस पकड़ते, अगर हमने अपने समय में कोई चीज़ पकड़ी है तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं? निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है जो कि हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दे दिया है। एक-एक पहलू को विस्तार से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में जो हमने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट की बात कही, इसको तीन दिन के अंदर सी.बी.आई. को सौंप देंगें और उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी।

अध्यक्षः नियम-62 के अंतर्गत जितनी डिस्कशन हो सकती थी, वह हो चुकी है। नियम-62 में फरदर डिस्कशन की परमिशन नहीं है। मैं केवल मुकेश जी को कह सकता हूं कि अपनी बात कहें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)ः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया, इन्होंने सी.बी.आई. की जांच की, हम भी इसके पक्षधर हैं। बहुत बड़ा मसला है, ढाई सौ करोड़ रुपये की

15.12.2018/1225/av/dc/1

हेरा-फेरी प्रदेश में छात्रों के सिर पर कर गये, यह मसला डिटैक्ट हुआ है इसलिए आप इसको सी0बी0आई0 को भेजें। हम तो मंत्री जी से केवल यह चाह रहे हैं कि नाहन का व्यक्ति जिसने 40-50 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी को अंजाम दिया है उसका हाउस में कम-से-कम नाम तो बता दें कि वह कौन व्यक्ति है और कौन सा इन्स्टिच्यूशन है ताकि बाकी लोग भी उससे सचेत रहे। ऐसा कौन सा इन्स्टिच्यूशन है जिसमें एक अकेला आदमी 40-50 करोड़ रुपये की राशि का चूना लगा गया क्योंकि छात्रों की स्कोलरशिप की बात है। दूसरा, यह है कि जिन बच्चों को इसमें स्कोलरशिप नहीं मिल रही है, वह आप दिलवा दें।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े विस्तार से बताया है कि विभागीय स्तर पर जो प्रीलिमिनरी इनक्वायरी हुई है उसके आधार पर हम मामला उच्च स्तर पर ले गये और वहां निर्णय हुआ कि इसको आगे सी0बी0आई0 को भेज दिया जायेगा। इसमें बहुत सारी टैक्निकल चीजें थीं जिसके कारण इस बारे में एफ0आई0आर0 दर्ज करने की बात आई जो कि नवम्बर माह में कर दी गई है। जब कोई एफ0आई0आर0 दर्ज होती है तो उसमें पुलिस के लोग भी प्रीलिमिनरी इनक्वायरी करते हैं। पुलिस की प्रीलिमिनरी इनक्वायरी के आधार पर मामला केंद्रीय गृह विभाग के अंतर्गत सी0बी0आई को सौंपने हेतु भेजा जायेगा। इसमें कौन-कौन लोग इन्वोल्व है? कोई नाहन का व्यक्ति है; यह तो नेता प्रतिपक्ष को पता होगा कि वह व्यक्ति कौन है और उसका क्या नाम है। हमारे पास जो सूचना आई है उसके

अनुसार इसमें हिमालयन टैक्निकल इन्स्टिच्यूट और आई0टीएफ0टी0 के नाम है। ...(व्यवधान)... यह हिमालयन टैक्निकल इन्स्टिच्यूट है; ये सारे आपकी सरकार के समय खुले हैं इसलिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। इनके इग्जैक्ट नाम सी0बी0आई0 निकालेगी। इस संदर्भ में माननीय सदस्य श्री जगत सिंह का प्रश्न यह था कि इसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। यह खबर समाचार पत्र में किसने छपवाई, उस आधार पर माननीय सदस्य इस मामले को यहां पर ले आए कि सारा मूव स्कटल हो जाए इसलिए बाहर चले गये। इस तरह का विवाद नहीं था, यह कैसे छपी है केवल इतना मामला था कि ये स्कटल कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पेसिफिकली कहा है कि हम इसको सी0बी0आई0 को भेजेंगे और इस बारे में दूध-का-दूध और पानी-का-पानी बाहर आयेगा। आप पता कर लीजिए यह हिमालयन टैक्निकल इन्स्टिच्यूट और आई0टी0एफ0टी0 है। ...(व्यवधान)... अब यह हमें नहीं पता कि कैसे छपी है यह तो आपको पता होगा क्योंकि पत्रकारिता आपने की है, मैंने नहीं की है इसलिए मुझे नहीं पता कि पत्रकारों के सोर्स कैसे होते हैं। ...(व्यवधान)... हम कह रहे हैं कि इसको सी0बी0आई0 को भेजा जा रहा है और आप वाकआऊट कर रह हैं। ...(व्यवधान)... इससे मीडिया को भी अन्दाजा लगाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर तो हम सीधे मना कर रहे हैं और इसको रोक रहे हैं फिर तो आप कह सकते हैं। लेकिन हमने तो आपके समय का घोटाला निकाला है जो आपकी सरकार के कार्यकाल के समय होता रहा है। इसमें कौन इन्वोल्व है उस दोषी व्यक्ति को सामने लायेंगे।

15.12.2018/1230/TCV/HK/1

अध्यक्षः यहां नियम-62 के अंतर्गत चर्चा हुई और माननीय सदस्य ने विषय रखा। जिसका माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया। माननीय सदस्य ने क्लेरिफिकेशन मांगी, उसका भी उत्तर आ गया। माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी और उसका उत्तर भी आ गया। नियम-62 के अंतर्गत केवल माननीय सदस्य और माननीय मंत्री द्वारा ही चर्चा होती है। यह मामला 3 दिन में सी0बी0आई0 को चला जाएगा। इतनी बड़ी एश्योरेंस के बाद और चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं अगले विषय पर

आ रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ---(व्यवधान)-- माननीय सदस्य श्री नन्दलाल जी प्लीज---(व्यवधान)--- आपका विषय ही नहीं है। Not allowed.---(व्यवधान)---श्री नन्द लाल जी आप बहुत सीनियर मैंबर है।---(व्यवधान)--- प्लीज बैठिए।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) पर विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) पर विचार किया जाए।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-15) जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है, उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने पिछले कल भी कहा था और आज दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूं। यहां जितने भी बिल आएं है, उनमें से 2 बिल को छोड़कर, ऐसा एहसास होता है कि इसके पीछे मकसद कुछ और है। ये बिल इतने पुअरली ड्राफ्टिड है कि यदि आप डिक्शनरी भी खोल लें फिर भी पता नहीं लगता कि इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, को यह स्पष्टीकरण तो देना ही होगा, हमें इसमें आपत्ति नहीं है कि इसको पास करें या न करें, लेकिन स्पष्टीकरण जब तक इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने नहीं आएगा, तब तक बिल पारित करके भी क्या फायदा होगा? उदाहरण के तौर

पर मैं कहना चाहता हूं कि जब हम डेफिनेशन में जाते हैं तो इसमें लिखा है कि "college" means a college or institution including autonomous college maintained or approved. ये जो maintained or approved है ये ऐसी शब्दावली है जिसको आप आज के दौर में जो लोग शिक्षा को बेचते है, वे लोगों को गुमराह करने के लिए इसको शामिल करते हैं। आप संबद्ध (affiliate) शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें सहमति जाहिर करेंगे। परन्तु ये जो maintained and improved शब्द है, ये किससे maintained and improved है, किस चीज के लिए maintained है। यही नहीं, आगे लिखा है to any University which provides facility of studying in syllabi from admission until examination. ये क्या मतलब है from admission till examination या तो हो कि एडमिशन से लेकर एग्जामिनेश तक लेकिन until the examination ये क्या शब्दावली है। इस प्रकार से बिल को कौन ड्राफ्ट करता है, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। फिर जो इसका उद्देश्य है, यह भी बहुत चिंता का विषय है, जो Statement of Objects and Reasons. इतना कंट्राडिक्ट्रि है, ये कट एण्ड पेस्ट करके किसी ने लगा दिया और यह भी किसी ने ख्याल नहीं किया कि एक संटेंस दूसरे के साथ मेल खाता है या नहीं खाता है।

15-12-2018/1235/NS/HK/1

एक लाइन दूसरी लाइन को कंट्राडिक्ट करती है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि हमने कहा कि अलग-अलग संस्थाओं को रेग्युलेट करने के लिए ये पूरा उद्देश्य है। लेकिन जब हम यह कह रहे हैं और आप इसकी पहली लाइन देखिए। कितनी कंफ्यूज़न पैदा हो रही है कि there are various educational institutions and regulatory bodies functioning in the State to impart education to the students. मुझे बताईए कि कौन-सी रेग्युलेटरी बोडी एजुकेशन देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेग्युलेटरी बोडी एजुकेशन को रेग्युलेट करती है, शिक्षा नहीं देती है। लेकिन इससे यह मतलब निकलता है कि रेग्युलेटरी बोडी शिक्षा दे रही है। पहली ही लाइन इतनी पुअरली ड्राफ्टिड है, जिससे कुछ समझ नहीं आता है और फिर कनफ्यूज़न पैदा करती है। इससे आगे क्या लिख रहे हैं। Therefore, it has become imperative to set up a State Higher Education Council for ensuring the autonomy of all Institutions of Higher Education in the State and to make them accountable for promoting academic. एक तरफ से आप ऑटोनमी रेग्युलेट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ से आप ऑटोनमी देना चाहते हैं। मैं

आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस बात की ऑटोनमी देना चाहते हैं और किससे देना चाहते हैं? ऑटोनमी इस बात के लिए कि जो फीस जिसने लेनी है, वे लें और जो सिलेबस देना है, वे दें तथा क्या आप धंधा चलाने की ऑटोनमी देना चाहते है? अगर आप रेग्युलेट करना चाहते हैं तो ऑटोनमी और रेग्युलेशन में विरोधाभास है। आज इसका विरोध हो रहा है। ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं। यही नहीं, मुझे ऐसा एहसास होता है कि इसको री-ड्राफ्ट करने की जरूरत है। अगर हम इसके और विषय पर जाएं तो और भी खतरनाक बातें सामने आती हैं। आज ऑलरेडी रेग्युलेशन है। आप मुझे बताईए कि आज जो हम विश्वविद्यालयों को रेग्युलेट करते हैं तो जो युनिवर्सिटी ग्रांट कमीश्न है, वह पूरे देश में स्वीकार्य है तो क्या आज ये कमीश्न देश के अंदर पूरे विश्वविद्यालयों को रेग्युलेट करता है? क्या जरूरत हो गई कि युनिवर्सिटी ग्रांट कमीश्न होने के बावजूद हम हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं और एरोगैंस दिखा रहे हैं कि युनिवर्सिटी ग्रांट कमीश्न कुछ नहीं है, बकवास है तथा हम अपना विधेयक लाएंगे व इसके जरिए हम रेग्युलेशन करेंगे। आप अलग-अलग किस्म की संस्थाओं को एक बोडी से चलाना चाहते हैं। Is it possible? आज मेडिकल साईंस अलग है, टैक्निकल साईंस अलग है, टैक्निकल इंस्टीच्यूशन्ज़ अलग हैं। Can a single regulatory body regulate it? हम क्या रेग्युलेट करते हैं? हम यह रेग्युलेशन करते हैं कि क्या सिलेबस होगा, किसको वैधता देंगे और फीस का ढांचा क्या होगा, ये सारी बातें रेग्युलेट की जाती हैं। लेकिन सारी संस्थाएं जो हिमाचल में एग्जिस्ट कर रहीं हैं, आप उनको एक अंबरेला के अंडर लाना चाहते हैं। यह उद्देश्य दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही में "hot & cold" एक ही ब्रेकेट में बलो कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या बोल देते हैं कि कुछ संस्थाएं बाहर रह जाएंगी। कौन-सी संस्थाएं बाहर रह जाएंगी? मेडिकल, कृषि, पशुपालन और वाणिकी की स्ट्रीम बाहर रह जाएंगी। तब तो आप सबको ही जोड़ दो। जब आप शुरू में ही कह रहे हैं तो इसको क्यों अलग कर दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं-न-कहीं दाल में काला नज़र आ रहा है। ये कौन हैं? कुछ ऐसे चहेते जो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए सरकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके बारे में सरकार बेहतर बता सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप आगे पेज नम्बर 4 पर जाईए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय दें।

अध्यक्षः आप बोलिए।

श्री राकेश सिंघाः आप पेज नम्बर 4 पर 5 (2) देखें। Two other members of the Advisory Committee shall be reputed academicians or famous intellectuals. माननीय अध्यक्ष महोदय, फेमस जगह होती है, गाना होता है, ईमारत होती है, intellectually renowned होता है और आउटस्टैंडिंग होता है, किसने इसको ड्राफ्ट दे दिया है?

15/12/2018/1240/RKS/YK-1

शायद 'KG' का स्टूडैंट भी इसको बेहतर तरीके से ड्राफ्ट करता परंतु हमने ऐसे लोगों से ड्राफ्ट करवाया जिनकी न तो शिक्षा के बारे में समझ है और न ही इसके उद्देश्य के बारे में पता है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं इसमें दो छोटी-छोटी चीजें जोड़ना चाहता हूं। हम इसकी डैफिनेशन में कह दें कि किस शब्द का क्या अर्थ निकलता है? जब हम एक्ट में कोई चीज डालते हैं और उसकी परिभाषा नहीं देते तो वह चीज सबसे खतरनाक है। क्योंकि आप किसी भी चीज को किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 7(2) "The Chairperson of the Council may be removed by the State Government, if his work and conduct is not satisfactory." इसमें satisfactory क्या है? उधर डिफाइन करना पड़ेगा कि satisfactory क्या है और unsatisfactory क्या है? आज आपने कह दिया और कल आपको लगा कि यह ठीक नहीं है तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे RBI के गवर्नर महोदय बिल्कुल सही थे परंतु आपको लगा कि वह सही नहीं है तो आपने उसको निकाल दिया। यह arbitrary नहीं होना चाहिए। There must be certain principles जिसके आधार पर एंट्री हो या बाहर निकालने का कार्य हो इसलिए आप इसे डैफिनेशन में शामिल कीजिए। आपने इसमें क्या खतरनाक क्लॉज जोड़ा है। यह जोड़ा है 8(3) में "No person shall be eligible to be nominated as a member of the Council unless he is a graduate." क्या ग्रेजुएट? हाई स्कूल ग्रेजुएट होगा, कॉलेज, ग्रेजुएट होगा या लॉ ग्रेजुएट होगा? आपने इसमें कुछ तय नहीं किया सिर्फ इतना कह दिया कि ग्रेजुएट होगा। जब हाई स्कूल का ग्रेजुएट होगा और बाद में वह सूट नहीं किया तो आप कह देंगे कि यह ग्रेजुएट नहीं चलेगा। हमने तो लॉ ग्रेजुएट की बात की है। इसलिए

सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जिसके अलग-अलग मतलब निकलें तभी यह कानून सही तरीके से चल सकता है। इसके 9(b) में "to help the institutions of the State in planning and implementation." क्या इम्प्लिमैंटेशन है? कोई स्पष्टीकरण नहीं है और मैं समझता हूं जो वित्त विभाग का काम है उसे यह कानून कर रहा है। मुझे शक जाहिर होता है कि ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है? ऐसी बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें कहकर कोई फायदा नहीं होने वाला। इसमें जो मुझे खतरनाक चीज लग रही है, इसके फक्शन्ज 9(s) में "to make and follow a transparent procedure for transferring the financial aids to the Universities and colleges under the National Higher Education Mission." अगर उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है तो कानून लाने की क्या जरूरत है? उसको वहां रैक्टिफाई किया जाए। अगर 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है तो उसमें संशोधन किया जाए। उसके लिए कानून लाने की क्या आवश्यकता है? मैं बड़े दुःखी मन से कह रहा हूं कि जिस रूप से यहां पर विधेयक लाए जाते हैं वे इस माननीय सदन की गरिमा के लिए एक किस्म का धब्बा है। मैं इस सदन का हिस्सा हूं और आप भी इस सदन के हिस्से हैं। जब हम इस प्रकार के विधेयक लाते हैं तो इन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अगर इस विधेयक में संशोधन नहीं होता है तो मेरा सुझाव है कि जो इसका नाम दिया गया है उसे बदल दिया जाए और यह नाम लिखा जाए कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का भगवांकरण करने के लिए मार्गदर्शन का दस्तावेज़। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.12.2018/1245/बी.एस./वाई.के./-1

अध्यक्ष : श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी अब चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन कौंसिल है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं । आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अधुनिक शिक्षा की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। भविष्य में शिक्षा की दिशा और दशा कैसी हो और भविष्य के विश्वविद्यालयों द्वारा किस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाए, उस संदर्भ में यह बिल लाया गया है। मैं इसके ओबजैक्ट्स में न जाते हुए जो कुछ सैक्शन बनने जा रहे हैं अभी वह इसमें नहीं हैं, फिर भी सैक्शन 5 के संदर्भ में जो एडवाइजरी कमेटी बनने जा रही है और जो सब सैक्शन-2 होगा उसमें माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने भी कहा है कि इसमें एक शब्द और लिखा जाना चाहिए था। जिसमें इन्होंने कहा कि academicians, intellectuals and eminent in public life. अगर इसमें एक्ट बनने से पहले एक शब्द और लिखा दिया जाए तो कई ऐसे लोग इसमें एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बन सकते हैं जो academicians, intellectuals भी होते हैं और वास्तविक परिस्थितियों से जो गांव की वास्तविक परिस्थितियां हैं उन से भी अवगत होते हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध रहेगा कि इसके बारे में भी आप सोचिए।

दूसरा हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहां आपने यह अनिवार्य कर दिया है कि 6 महीने में एक बैठक होगी। अब किस प्रकार से रैगुलेट करेंगे? सैक्शन 10 के अनुसार अगर आप हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो उसके अनुसार इसमें प्रावधान होना चाहिए। यदि आपने किसी अकेडमिक, कालेज या यूनिवर्सिटी में रैगुलेशन करना है हालांकि इसमें निजी यूनिवर्सिटीज नहीं हैं । उसके लिए अलग रैगुलेटरी कमीशन बना है। आप इसमें 3 महीने में एक बैठक को अनिवार्य करने का प्रावधान करिए। यह मेरे दो सुझाव हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कालेज, यूनिवर्सिटीज को रैगुलेट करना है या शिक्षा परिषद द्वारा रैगुलेशन होनी है इसमें 6 महीने

की जगह 3 महीने कर दें तो जब हमरा सीजन आरंभ होता है तो उसे रैगुलेट करके देख सकते हैं।

तीसरा मैं निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में 12 निजी यूनिवर्सिटीज से इसका कोई संबंध नहीं हैं । परंतु मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उसके लिए हमारा एच.पी. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रैगुलेटरी कमीशन बना हुआ है, बेशक यह बिल में नहीं है। जब आप हायर एजुकेशन के बिल को ला रहे हैं। उसकी वस्तुस्थिति क्या होगी । इस बारे में भी आप मुझे बताने की कृपा करें। क्योंकि वह सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट कर रहा है। कई बच्चे हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं । इसमें यूनिवर्सिटीज के अलावा जो प्राइवेट इंजनीयरिंग कालेज्जि हैं उनमें कुछ को तो आपने यूनिवर्सिटीज का दर्जा प्रदान कर दिया है। कई जगह वैटेरनरी फार्मास्ट्रि्ट के संस्थान चले हैं क्या उनको भी आप रैगुलेशन में लाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इसमें आपने माना है कि इसमें उसे एक्सक्लयूड कर दिया है। ये कुछ मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर लाए हैं और जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है विशेष कर हमारे माननीय सदस्य आदरणी श्री राकेश सिंघा जी ने जो बातें रखी हैं मैं उनका बिल्कुल सर्मथन करता हूं। यहां पर बड़े अच्छे विचार उन्होंने रखे हैं। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले कल आप इस बिल को ले करके आए आज इसे पारित करने लग गए है। एक भी दिन का समय आप हमें इसे पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं कि हम इसे समझ तो सकें कि इसमें क्या-क्या लिखा है। एक एफ.आई.आर. की कॉपी लेने को आपका विभाग एक महीना लगाता है परंतु आप इतने बड़े बिल को हमें समझने का भी समय नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस बिल का यहां लाने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि रैगुलेटरी ऑथोरिटी पहले से ही बनी है। अब इस बिल की असली मंशा जो छिपी है वह

सैक्शन 10 में है। जैसा कि माननीय सिंघा जी ने भी यहां पर बताया उसमें यह असली बात छिपी है। कि रूसा का जो पैसा आना है।

15/12/2018/1250/RG/AG/1

उसको किस यूनिवर्सिटी को देना है, किसको नहीं देना है, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप 'रूसा' के विरोधी हैं और इस बिल को लाकर यहां क्या दर्शाना चाहते हैं कि आप 'रूसा' के विरोधी भी नहीं हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को पिछले पांच सालों में आपने कहा कि हम 'रूसा' को खत्म कर देंगे। परन्तु अब आप पॉवर में आ गए तो अब आप 'रूसा' की बात कर रहे हैं और 'रूसा' के सपोर्ट में ऐक्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें सेक्शन-8(j) में भी है कि आप यूनिवर्सिटी की ऑटौनौमी को यूनिवर्सिटी के ऊपर एक और संस्था लगाकर खत्म करना चाहते हैं ताकि उनसे जब कोई वित्तीय ग्रांट लेना हो तो आप मनमानी करेंगे और उनको कहेंगे कि ये सब्जैक्ट्स पढ़ाओ, इतिहास में फलां के स्थान पर फलां को लगाओ। आप वाकई एक भगवाकरण करने की बात कर रहे हैं और जो यह खतरनाक बिल आपने यहां लाया और जिस तरीके से जल्दी में आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस बिल का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते।

माननीय अध्यक्ष जी, हम इनसे निवेदन करते हैं कि अगर इनकी मन्शा ठीक है, तो इसको सलेक्ट कमेटी में भेजें। वहां बैठकर हम इस बारे में पूरा-का-पूरा पोस्टमॉर्टम करेंगे और अगर यह हिमाचल प्रदेश के हित में है तो हम आगे इसका समर्थन करेंगे। अन्यथा इस बिल के द्वारा आप यूनिवर्सिटीज़ को अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं और जो उनको वित्तीय अनुदान देने हैं, उनको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश पहले ही 50,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ में डूबा हुआ है। आप एक और परिषद बनाकर और उसमें और लोगों को बैठाकर वित्तीय स्थिति खराब करना चाहते हैं। हमारी वित्तीय स्थिति जो पहले ही ख़राब है, उसको और खराब करने जा रहे हैं। जब आप लोग इधर बैठे होते थे तो कहते थे कि सारे बोड्र्ज इत्यादि बेकार हैं, इनको बन्द कर दो। परन्तु आज आपने सारे बोड्र्ज इत्यादि दुबारा से चला दिए। उसके अलावा कितने आयोग, कितने परिषद अभी तो पता नहीं हर विभाग एक-एक परिषद और लाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो विभाग है, ऐसे-ऐसे बिल लाकर आप उसको कमज़ोर कर रहे हैं। जो आपकी असली मन्शा है, वह किसी से छिपी नहीं है। सब कुछ क्लियर हो गया है। इसलिए इस बिल को

सलेक्ट कमेटी में भेजें और इतनी जल्दबाजी में इस बिल को पारित करने की कोशिश न करें, जिससे हमारे हिमाचल के हितों की रक्षा न हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश हायर ऐजुकेशन कौंसिल बिल सदन के सामने चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया। इस चर्चा में इस सदन के तीन बहुत ही प्रमुख माननीय सदस्यों ने भाग लिया क्योंकि श्री राकेश सिंघा जी का भी शिक्षा संस्थानों से बहुत गहरा संबंध रहा है और रहता है, भले ही शायद इनकी विचारधारा के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन न होते हों। माननीय श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में छात्र राजनीति के द्वारा आए हैं और अनेकों वर्षों तक ये एन.एस.यू.आई. के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसलिए शिक्षा इनका भी प्रथम प्यार है। माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। ये विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और साथ-ही-साथ कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। मैं इन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरा मार्ग-दर्शन करने के लिए अपने-अपने विचार यहां प्रस्तुत किए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में केन्द्र में जब पीछे यू.पी.ए. की सरकार थी और माननीय श्री कपिल सिब्बल जी मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। उस समय उन्होंने वहां बहुत सारे परिवर्तन किए। हम उन्हें मानें या न मानें, यह अलग बात है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। उसमें 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' भी था। सर्व शिक्षा अभियान प्राईमरी और एलीमेंट्री में पहले से चल रहा था जो डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने प्रारम्भ किया था। लेकिन उस समय 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' को प्रारम्भ किया गया। यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, बहुत सारे इन्स्टीटियुशन्ज भी चल रहे हैं और कॉलेजिज भी काम करते हैं जिनमें बहुत सारे कॉलेज ऑटोनॉमस भी हैं या यूनिवर्सिटीज़ अथवा सरकार के हैं या

या विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन सबमें उचित इनपुट हायर एजुकेशन से संबंधित आए, उनको प्रौपर मार्ग-दर्शन मिले क्योंकि युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल लैवल पर सारे एजुकेशनल सिस्टम को रेगुलेट करता है। शिक्षा कन्करंट विषय है। प्रायमरिली पहले यह स्टेट गवर्नमैंट का ही विषय हुआ करता था लेकिन बाद में इसको कन्करंट विषय की लिस्ट में डाल दिया गया। इसलिए इसमें केन्द्र सरकार भी लैजिस्लेट कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। केन्द्र सरकार ने आर0टी0 ऐक्ट भी इस संबंध में बनाया है। इसी दृष्टि से प्रदेशों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजिज की ग्रेडिंग होती है। पिछली बार बहुत सारे कॉलेजिज की ग्रेडिंग हुई और केन्द्र से पैसा सीधा ग्रेडिंग के आधार पर जाता है। उसमें इस हायर एजुकेशन काउंसिल को कुछ नहीं करना है। इनके थ्रू केवल-मात्र रूट होगा। ये उसमें एक भी पैसा काट या बढ़ा नहीं सकते। मेरे हिसाब से ये इसमें एकमात्र एक पोस्ट ऑफिस का ही काम करेंगे। जो हायर एजुकेशन काउंसिल है इसको हम पहली बार नहीं बना रहे हैं यह पहले ही बनी हुई है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह स्टेच्यूट नहीं था। एग्जेक्टिव ऑर्डर के द्वारा जब यह अभियान शुरू हुआ था तब यह बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर ही थे या बहुत सारे प्रदेशों ने इसमें एजुकेशन मिनिस्टर को अध्यक्ष बनाया था। क्योंकि हिमाचल में चीफ मिनिस्टर के पास ही एजुकेशन का पोर्टफोलियो होता था इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ही उस काउंसिल के अध्यक्ष थे। हम केवल-मात्र इसको स्टेच्यूटरी फोरम में ला रहे हैं। जो पहले का कानून बना हुआ है, जो रूल्स के अनुसार चलता था और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के द्वारा काउंसिल बनी हुई थी, अभी तक भी उस काउंसिल के द्वारा ही सारा रूटआउट होता है। कहीं भी उससे बाहर नहीं होता है। जो ऐक्ट हम अब लाए हैं उसमें हमने अंतर सिर्फ एक यह किया है कि जो चेयरमैन है, यह एच0आर0डी0 मिनिस्ट्री की रूसा के अंतर्गत रिक्वायरमैंट है कि उसमें कोई राजनीतिज्ञ चेयरमैन नहीं होगा। यह जो काउंसिल बनेगी इसका चेयरमैन कोई एकेडेमिशियन होगा इसलिए हमने चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के स्थान पर जो हमने शुरू में बनाया था, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर लिख दिया था कि चेयरमैन एजुकेशन मिनिस्टर ही होगा और वाइस चेयरमैन किसी को बना देंगे। लेकिन यह रिक्वायरमैंट नहीं थी। रिक्वायरमैंट यह थी कि इसका चेयरमैन मैनडेटरिली कोई एमिनैंट एजुकेशनिस्ट होना चाहिए इसलिए हमने क्लॉज में

Chairperson will be eminent educationist/academician of public importance जो प्रूवन लीडरशिप क्वालिटी वाला होगा। एकेडेमिशियन का मतलब यह नहीं है कि हम किसी निचले स्तर के अध्यापक को बना दें। जो माननीय सदस्य सुखविन्द्र जी कह रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसी में हमने जो मैम्बर्ज के लिए क्लॉज है उसमें व्यवस्था कर रखी है कि जो पब्लिक लाइफ में एमिनेंट है। जो सैक्शन थ्री का 'बी' है - Non-official members - Five members to be nominated by the State Government from the field of art, science, civil society, सिविल सोसाइटी में एमिनैंट पब्लिक मैन आ जाएगा। ...(व्यवधान)... मैं उसी में बोल रहा हूं। टैक्नोलॉजी और स्किल डवलपमैंट इनमें से हम किसी को भी ले सकते हैं और Advisory Committee is to select the Chairperson. और उसमें जो बाकी वाइस चांसलर्ज के लिए भी एडवाजरी कमेटी होती है तो चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो इसमें सलैक्शन के लिए काम करेगी There shall be an Advisory Committee of three members under the Chairmanship of the Chief Secretary for making recommendations to the Selection Committee for the appointment of the Chairperson of the Council. और उसमें भी two other members of the Advisory Committee shall be reputed academician or famous intellectuals, out of which one shall be nominated by the State Government and other by the Council.

15.12.2018/1300/जेके/डीसी/1

जो काउंसिल बनेंगी एक वह भेजेगी और एक स्टेट गवर्नमैंट भेजेगी। जो उसकी सलैक्ट करने वाली कमेटी है it is another Committee. Section 6 provides that "the Selection Committee consisting of the following Members shall select the Chairperson on the recommendations of the Advisory Committee namely". जैसे एडवाइज़री कमेटी पैनल भेजती है। सर्च कमेटी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पैनल भेजती है फिर उसके बाद जो कमेटी होती है, वह उसको अप्वाइंट करती है या तो स्टेट गवर्नमैंट वाइस चांसलर बना देती है लेकिन हमने प्रोविज़न किया है कि इसमें एक मेम्बर होंगे मुख्य मंत्री, दूसरे होंगे शिक्षा मंत्री and third is Leader of Opposition in the State Legislative Assembly. This Selection Committee of three persons will

select the Chairperson. हमने पूरी ट्रांस्पेरेंसी इसमें रखी है। जो हमारी सैंट्रल गवर्नमैंट की एच0आर0डी0 मिनिस्ट्री और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की रिक्वायरमैंट्स हैं, उन सबको हमने इसमें इन्कॉर्पोरेट किया है। माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी ने यहां पर एक प्वाइंट आऊट किया है जो कि मेंडेटरी छः महीने वाला है, Section 10(1)'the meeting of the Council shall be held as per requirement, छः महीने का मतलब नहीं है लेकिन कम-से-कम छः महीने में एक बार मीटिंग जरूर होनी चाहिए। "However it shall be mandatory to convene at least one meeting in six months". अगर कोई चेयर पर्सन छः महीने तक मीटिंग ही न बुलाए लेकिन रिक्वायरमैंट के मुताबिक वे मीटिंग बुला सकते हैं। आपके इसमें बहुत सारे कन्सर्न्ज़ हैं, माननीय राकेश सिंघा जी के कन्सर्न्ज़ हैं। इसमें रैगुलेशन्ज बनाने का प्रावधान हमने कर रखा है। इसमें सैक्शन-20 says" The Council may make such regulations , as may be required and are not inconsistent with the provisions of this Act." जो आपके सारे कन्सर्न्ज़ हैं, उनको हम रूल्ज़ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रैगुलेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यह आप लोगों की सहमति से होगा। इस सदन के जो नेता हैं और सदन के जो विपक्ष के नेता है वे चेयर पर्सन को अप्वाइंट करने वाली कमेटी के सदस्य हैं। जो हमको बहुत सारी हायर एजुकेशन के लिए या एलिमेंटरी एजुकेशन के लिए रिक्वायरमैंट है, हिमाचल प्रदेश के संसाधन इतने ज्यादा नहीं है कि हम अपने आप में सब को चला सकें इसलिए केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के अन्तर्गत हमको काम करना पड़ता है और उसकी रिक्वायरमैंट के अनुसार हम बहुत सारी चीजें अपने कानूनों में, रूल्ज़ में, रैगुलेशन्ज़ में अथवा एक्ट में प्रोवाइड करते हैं। अभी जब नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी जैसे माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी कह रहे थे और जो आने वाली ऐजुकेशन पॉलिसी है, उसमें सारी ऐजुकेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। ऑल इण्डिया लैवल पर, यू0जी0सी0 के स्थान पर शायद कोई और बॉडी बन जाए और स्टेट्स में कोई और बॉडी बन जाए। हालांकि ऐजुकेशन स्टेट सब्जैक्ट होता था जो आज का विषय नहीं है लेकिन स्टेट का विषय यह रहता तो शायद हमको जो सेन्ट्रल ग्रांट थी, वह इतनी आसानी से न मिल

सकती। इस बार हमें इस बात की प्रसन्नता है कि समग्र शिक्षा अभियान, अब एस0एस0ए0 और माध्यमिक शिक्षा अभियान खत्म हो करके समग्र शिक्षा अभियान इकट्ठा हो गया है। उसमें पिछले साल के 660 करोड़ के मुकाबले पर इस बार हमें 830 करोड़ रुपए सेन्टर गवर्नमैंट से इस काम के लिए मिला है। इसी प्रकार रूसा के जो ग्रांट्स हैं, उनको भी रैगुलेट करने के लिए किसी-न-किसी के आते हैं और हायर एजुकेशन में इनपुट्स हमको प्राप्त हो, अकेडेमिक इनपुट्स प्राप्त हों और उसमें अकेडेमिशन्ज अगर वे डेलिबरेट करेंगे, वे स्टेट गवर्नमैंट को एडवाइज़ करेंगे कि किस प्रकार से हमें एजुकेशन सिस्टम में हमको बदलाव करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम यहां पर कई बार कर देते हैं जो शायद निचले क्षेत्रों में तो की जा सकती है लेकिन प्रदेश में सम्भव नहीं होती हैं। इसलिए हमें उसके हिसाब से उन इनपुट्स को यूज़ करने के लिए और सोशल जस्टिस के लिए ये जो हमारी काउंसिल है उसकी रिक्वायरमैंट है इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों के आए हैं। क्योंकि this is not end of everything शिक्षा एक सतत विषय है। इस पर जो आपके विचार होंगे और जब काउंसिल बनेंगी तो उस समय हम उनको अच्छी तरह से लेंगे। जो पहले के कानून थे सिर्फ उनको हम स्टेट्युटरी फोरम दे रहे हैं।

15.12.2018/1305/SS-DC/1

अदरवाइज ऑलरेडी यह जो हायर एजुकेशन काउंसिल है this exists in the State. तो मेरा निवेदन है कि जो बिल आपके सम्मुख लाया है, इसको यह सदन सर्वसम्मति से पारित करे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी, आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ क्लैरीफिकेशन ही लेनी है। जब इन्होंने आखिरी बात जोड़ी , मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या SHEC (State

Higher Education Council) "स्टेट" माना जायेगा as defined by Article 12 of the Constitution.

Education Minister: This is a body corporate. It can be interpreted in any way by the courts. It can be a "State" or not "State" but it will be sued or it can sue anybody as a body corporate. It is in this Act itself.

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 22 तक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 व 22 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शिक्षा मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

शिक्षा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) पारित हुआ।

मैं सदन की सलाह चाहता हूं कि हमारे पास नियम-324 एवं 130 के अंतर्गत जो विषय हैं वे साथ-के-साथ किये जाएं या मान्य सदन को लंच के लिए ब्रेक दिया जाए।

माननीय सदस्यगणः माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कर लिये जाएं।

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्षः नियम-324 के अंतर्गत आज विशेष उल्लेख के लिए चार विषय लगे हैं।

अब माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अंतर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार है:-

चDegree College Kaffota having a student strength of nearly 300 students is without its own building and is working in building of GSSS Kaffota is facing shortage of accommodation. The construction of building is in progress but the pace of construction is very slow and a budget provision of nearly Rs. 1.80 crore has been made but not a single penny has been given to the PWD contractor there by stopping. The construction of work necessary payment should be made and budget provision for further funds may be made in the working financial year so the building can be completedछ

Education Minister: Hon'ble Speaker Sir, Factual position is as under

The A/A & E/S of this work was accorded amounting to Rs. 5.00 crore by Joint Secretary (Hr. Edu) on dated 3-6-2014. The work was awarded to M/S HC Bansal by Executive Engineer, Shillai on dated 9-10-2017 amounting to Rs. 9,98,52,105/- with stipulated date of its completion as 23-10-2019. The case for seeking revised A/A & E/S amounting to Rs.1592.48 Lacs has been sent to Director Higher Education by Chief Engineer (SZ) Shimla on dated 15-

06-2016 which is still awaited. The client department has deposited a sum of Rs. 180.75 lakh with PWD till date as per detail given below:-

Date	Amount
08-06-2016	Rs. 1.00 Lacs
20-09-2016	Rs. 5.00 Lacs
10-08-2018	Rs.24.75 Lacs.
21-08-2018	Rs.50.00 lacs.
24-10-2018	Rs.100.00 Lacs
Total :-	180.75 Lacs

The scope of work includes construction of 1 No. administrative block and 2 Nos academic blocks with following provisions .:-

The Administrative Block:

Ground Floor: Staff Room/Record Room/ Store.

First Floor: Principal Room/ ICT Laboratory/ Fee counters/ Retiring Room.

Second Floor: Library/ Reading Room.

Academic Block I:

Ground Floor: Canteen/ Music Room.

First Floor: Common Room Girls / Computer Room.

Second Floor: Geography/ Music Room/ Common Room Boys.

Third Floor: Examination Hall.

Academic Block II:

Ground Floor: Sports Room/ Common Rooms/ Lecture Hall

First Floor: Class Rooms 6 Nos./ Lecture Hall

Second Floor: Class Rooms 4 Nos. / Lecture hall.

Third Floor: NSS/ NCC/ Lecture Hall.

At present, site development has been completed and work of one Administrative Block is in progress in which frame work including masonry work has been completed. The work to the tune of Rs. 2.00 crore has been executed by the contractor. Payment will be made during this month after verification at site. Work shall be completed as per schedule provided the sufficient funds from client department are made available to this department well in time.

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी नियम-324 के अर्न्तगत अपना विषय उठाएंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अंतर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं, जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

"प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करें।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय,इस विषय में माननीय सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि प्रदेश में जो भी सैन्य छावनियां व मिलिट्री स्टेशन हैं, उनका रख-रखाव भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय द्वारा किया जाता है तथा यह प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वर्तमान मे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सैन्य छावनियां व मिलिट्री स्टेशन का विवरण निम्न प्रकार से है।

छावनियां मिलिट्री स्टेशन

1. डगशाई 1. नाहन
2. कसौली 2. सोलन
3. जतोग 3.रामपुर(अवेरी पट्टी)
4. डलहौजी 4. धर्मशाला
5. बकलोह 5. पालमपुर (होल्टा)
6. योल
7. सुबाथू

यहां मैं माननीय सदस्य व सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि अभी तक जनता के द्वारा सरकार के ध्यानार्थ जो मुद्दे लाए गए हैं वे योल कैन्ट से सम्बन्धित है जिसमें संघर्ष समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में एक सी0ओ0पी0सी0 दायर की गई है जिसकी आगामी सुनवाई 26-12-2018 को निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से नाहन मिलिट्री स्टेशन में रह रहे सिविलियन लोगों का सरकार से अनुरोध रहा है कि उनके द्वारा जिस जमीन पर मकान बनाए गए हैं व अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही है, इन स्थानों को सैन्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाए। क्योंकि इसमें प्रदेश सरकार एक तरफा निर्णय नही ले सकती परन्तु फिर भी प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है व रक्षा मन्त्रालय से निरन्तर पत्राचार जारी है। यहां यह उल्लेख करना भी उपयुक्त रहेगा कि आगामी होने वाला सिविल मिलिट्री समन्वय सम्मेलन की बैठक की कार्यसूची में इन विषयों को सम्मिलित किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित सम्मेलन में जो निर्णय होगा व उपरोक्त वर्णित सी0ओ0पी0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय का जो अन्तिम आदेश प्राप्त होगा उसके अनुसार ही सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगी।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री पवन काजल नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री पवन काजल (कांगड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 324 के अंतर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

"मैं सरकार का ध्यान धर्मशाला के साथ स्थित गांव दा़डी के खेल मैदान की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, यह विशाल एवं सुन्दर मैदान सड़क के किनारे स्थित है तथा पूर्व में यहां पर अनेक प्रकार की खेलों एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाये जाते रहे हैं

परन्तु पिछले कुछ वर्षों से इस मैदान को मात्र रसोई गैस सिलेण्डरों से भरे ट्रकों को अनलोड व लोड करने तथा ठेकेदारों द्वारा रेत व बजरी उतारने-चढ़ाने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे कि इस मैदान की स्थिति दयनीय हो गई है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त के दृष्टिगत इस मैदान में ठेकेदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र हटाने तथा सिलैण्डर, रेता, बजरी आदि की गाड़ियों को उतारने-चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने तथा इस मैदान के शुरू में सड़क की तरफ गेट लगाकर इसे केवल मात्र खेल एवं अन्य प्रतियोगिताओं हेतु ही उपयोग में लाने के आदेश देने की कृपा करें।

वन मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला के साथ स्थित गांव दा़डी के खेल मैदान का निरीक्षण महापौर, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त एवं इंजीनियरिंग ब्रांच धर्मशाला नगर निगम द्वारा कर लिया गया है तथा मैदान के साथ पार्किंग हेतु स्थान चिन्हित कर लिया गया है। धर्मशाला नगर निगम द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसका कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैदान के साथ दीवार लगा कर गेट बन्द करने की प्रक्रिया की जा रही है। धर्मशाला नगर निगम द्वारा अपनी मासिक बैठक दिनांक 19.11.2018 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 (19) द्वारा दा़डी मेला मैदान का अस्तित्व बनाये रखने हेतु अन्य प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया है।

अध्यक्षः अब श्री आशीष बुटेल (पालमपुर) नियम-324 के अर्न्तगत अपना विषय उठायेंगे।
श्री आशीष बुटेल (पालमपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 324 के अंतर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

I would like to bring to the notice of the Government that due to heavy monsoon this year irrigation canals in Gram Panchayat Bhagotla, which source their water from Neugal Khad, have been badly damaged. The

farmers of the area are suffering due to this damaged kuhl and the villagers along the Neugal Khad had to be evacuated safety and the retaining wall in the Neugal Khad at Bhagotla village is required. Hence the Government should take necessary action to rebuild the channel and retaining wall through Sub-Divisional Soil Conservation Officer, Palampur ?

Irrigation & Public Health Minister: Hon'ble Speaker Sir, Factual position is as under:-

Due to Natural Calamity i.e. heavy rain in the recent monsoon, the source of water to irrigation canal/channel from Neugal Khad was damaged in Gram Panchayat Bhagotla. This scheme was executed earlier by the farmers of the area on their own resources. It is further informed that an inspection has been conducted by the team headed by Sub Divisional Soil Conservation Officer Palampur on 12-12-2018 alongwith the Panchayat representatives i.e. Up-Pradhan, Sh.Shakti Chand, Ward Member of Ward No.4, Sh.Bihari Lal to assess the damage caused to head weir and retaining wall of the aforesaid channel and it has been found that 200 mts long Kachha (dPpk) irrigation channel has totally damaged. However, the farmers of the area have restored

the kachha(dPpk) channel by using their own resources. The length of this channel is about 1500 meters long irrigating 12 hect. CCA.

This department will undertake this kuhal to make it pacca(iDdk) with CC Lining during the year 2018-19 out of the funds available under Flow Irrigation Scheme.

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री सुख राम जी नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुख राम (पांवटा साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही पेयजल/सिंचाई व अन्य कार्यों की देनदारियों पर यह सदन विचार करे।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही पेयजल/सिंचाई व अन्य कार्यों की देनदारियों पर यह सदन विचार करे। इसमें दो लोगों के नाम मेरे पास हैं, सबसे पहले माननीय सुख राम जी अपनी बात रखेंगे।

15.12.2018/1310/केएस/एचके/1

श्री सुख राम (पांवटा साहिब): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और मैं आई.पी.एच. डिविज़न पांवटा की बात करना चाहता हूं। यह डिविज़न जिला सिरमौर की 50 प्रतिशत आबादी को पेयजल व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसमें शिलाई विधान सभा क्षेत्र पूरा है, पांवटा विधान सभा क्षेत्र भी पूरा आता है, नाहन विधान सभा क्षेत्र की 9 पंचायतों की 40 हजार की पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आती है और रेणुका विधान सभा क्षेत्र की 8 पंचायतों की लगभग 20 हजार

की पॉपुलेशन इस आई.पी.एच. डिविज़न के अंतर्गत आती है। इस डिविज़न में 361 पेयजल की स्कीमें हैं। 125 स्कीमें सिंचाई की स्कीमें हैं। इसमें 6 महत्वपूर्ण नहरे हैं। गिरा दायां तट नहर, गिरी बायां तट नहर, बाता-माजरा नहर, गिरी-रामपुर नहर, गिरी-माजरा, गिरी-पुरवाला नहर और गिरी- माजरी-रामपुर नहर। बहुत सी स्कीमें बहुत पुरानी है। ये नहरें भी 25-25 साल पुरानी हैं और कई स्कीमें 1977 से पहले की बनी हैं। इनके रख-रखाव और इनको चलाने के लिए वार्षिक राशि, जिसका बजट में प्रोविज़न है, वह बहुत कम है। वर्तमान में पांवटा आई.पी.एच. डिविज़न की देनदारी 6 करोड़ 55 लाख रु0 की है। पिछले दिनों बरसात में बहुत सी पेयजल और सिंचाई की स्कीमें प्रभावित हुई हैं। कूहलें टूट गई, उनको बनाने के लिए पैसा नहीं है। सिंचाई की स्कीमों की कइयों की मोटरें जल गई, पम्पिंग मशीनरी ठीक नहीं है, पुरानी है उनकी रिपेयर की आवश्यकता है। हम पेयजल व सिंचाई की नई स्कीमें बना रहे हैं परन्तु जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, उनको किस तरह से चलाया जाए, उस पर चर्चा के लिए मैं यह विषय इस माननीय सदन में लाया हूं। किसी भी घर में अगर सुबह पानी नहीं आता तो उसका सारा दिन खराब चला जाता है। 361 पेयजल की स्कीमें हैं। हमारे पास जो इस बार का बजट था, 2 करोड़ 6 लाख रु0 का था और 2 करोड़ 27 लाख रुपया वर्तमान में खर्च हो गया। 6 करोड़ 55 लाख रु0 की देनदारी खड़ी है और बहुत सी ऐसी स्कीमें हमारे क्षेत्र में हैं जिनकी मशीनरी चेंज करने की नितांत आवश्यकता है और मैंने कई प्रश्नों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि किसान की आमदन दोगुना होनी चाहिए। जब उसकी जमीन को हम प्रॉपर तरीके से सिंचाई का प्रबन्ध करके नहीं दे सकते, जब समय पर उसकी जमीन की सिंचाई का हम प्रबन्ध नहीं कर सकते, मैं जिन नहरों की चर्चा कर रहा हूं, बरसात के दिनों में इनमें मलबा भर जाता है और लाखों रुपया उस मलबे को क्लीयर करने के लिए बरसात के बाद चाहिए। वह पैसा अवेलेबल नहीं होता। तीन-तीन महीने तक सफाई नहीं होती। बहुत सी

स्कीमें चौक हो जाती है, बहुत सी स्कीमों की मशीनरी खराब हो जाती है। पम्पिंग मशीनरी खराब हो जाती है।

15.12.2018/1315/av/hk/1

बरसात के दिनों में ग्रेविटी की स्कीमों की कूहलें खराब हो जाती हैं और पाइप लाइनें डेमेज हो जाती हैं। हमारे यहां पर बाढ़ नियंत्रण करने के लिए जो बांध बने हैं वे भी बरसात के दिनों में डेमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए पैसे चाहिए। पिछला वर्ष चुनावी वर्ष था तो हमारे मित्र जाते-जाते पैसे का इंतजाम करके नहीं गये, एडवांस में टैंडर लगाकर चले गये। मेरे आई0पी0एच0 डिविजन में ऐसे हजारों टैंडर हैं, हम एक्सियन साहब से एक टैंडर के बारे में बात करते हैं तो बीच में से 50 टैंडर और निकल जाते हैं। कहा जाता है कि यह काम हो गया है और यह चला हुआ है। पैसे का कोई प्रबंध नहीं किया और एडवांस में काम करवा दिए। अपने चहेतों को खुश करने के लिए 15-15 काम वैसे ही अवार्ड कर दिए इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल और सिंचाई की स्कीमें सुचारु रूप से चलें। नई स्कीमों के साथ-साथ पुरानी स्कीमों की ओ0 एण्ड एम0 के लिए प्रोपर तरीके से पैसे का इंतजाम किया जाए। इसके अतिरिक्त जो पुरानी देनदारियां पड़ी हैं उसके भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य रमेश चंद ध्वाला जी, कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहें।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सुख राम द्वारा नियम-130 के अंतर्गत रखे गए प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जब पैसे ही नहीं थे तो टैंडर कैसे लगा दिए गए। यह जो फिजूलखर्ची है, इस बारे में अगर किसी को अवार्ड लैटर दिया है तो वह कोर्ट में जायेगा कि मुझे तो अवार्ड लैटर मिला है और मैंने यह काम किया है। इसलिए बजट में प्रावधान किए बगैर वे टैंडर कैसे लगे? माननीय मंत्री जी काफी सूझ-बूझ रखने वाले व्यक्ति है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता जिसके

कारण बिजली विभाग आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट पर करोड़ों रुपये की राशि के हिसाब से सरचार्ज लगा देता है। अकसर ऐसा देखने को मिलता है; हमने कई बार विभाग के लोग यह कहते हुए सुने हैं। इसके अतिरिक्त जो स्कीम फीजिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में दो स्कीमें ऐसी हैं जिन पर 5 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है मगर उनके द्वारा अभी तक 5 लीटर पानी तक नहीं मिला है। वहां पर किसी भी व्यक्ति को उन स्कीमों के माध्यम से पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार की स्कीमें जो फीजिबल नहीं है उनको क्यों बनाया जाता है? इस प्रकार से करोड़ों रुपये की राशि बर्बाद की जा रही है और वहां पर बिजली का बिल फ्री में भरना पड़ रहा है। इसके अलावा करोड़ों रुपये का मैटीरियल स्टोरों में अनयूज्ड पड़ा है। उसकी कोई जरुरत नहीं थी, ऐसे मैटीरियल को न खरीदा जाए और जो खरीदा है वह वहां पर लगना चाहिए। इस प्रकार की फिजूलखर्ची को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएं। माननीय मंत्री जी, आप किसी भी स्टोर में चले जायें, आपको ऐसी-ऐसी चीजें मिलेंगी जो वहां पर यूजलैस पड़ी हुई हैं। इसलिए इस प्रकार की फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए और माननीय सदस्य भी ठीक कह रहे हैं कि जब पैसे ही नहीं है तो टैंडर कैसे कर दिए। यहां कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपये की लायबिलिटी है तो अब वे अगले बजट का भी लिखकर देंगे।

15.12.2018/1320/TCV/HK/1

कि मेरी इन स्कीमों को टॉप प्रायोरिटी पर किया जाए। लेकिन पिछली देनदारियों को कौन देगा? इसलिए उस अधिकारी के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही कई लोगों ने 3-3 सालों से मेडिकल बिल दिए हुए हैं, लेकिन उनको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि विभाग के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जिस भी ठेकेदार को काम दिया गया है, वह निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा होना चाहिए और जितना इसका एस्टीमेट बना हुआ है, उसके हिसाब से यह कार्य पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि कई जगह एस्टीमेट एक करोड़ रुपये का बना है और खर्चा मु0 1.40 करोड़ रुपये हो गया है। जब एस्टीमेट एक करोड़ रुपये का बना है तो 40 हजार रुपये क्यों ज्यादा खर्च हो रहे हैं। यह विभाग लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। यदि सुबह पानी न आए तो कितना गुस्सा आता है। इसलिए इस सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ी सुझबूझ रखने वाले व्यक्ति है। मैं इनसे निवेदन

करना चाहूंगा कि इन अनियमितताओं के लिए उस अधिकारी को टारगेट किया जाए जिसने इसके टेंडर लगाए और फजूलखर्ची की है। उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री सुख राम जी प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही पेयजल/सिंचाई व अन्य कार्यों की देनदारियों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन में लेकर आए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 सब-डिविजन आते हैं, एक सब -डिविजन नौहराधारा के अंतर्गत और दूसरा सरांह, नाहन डिविजन के अंतर्गत आता है। नौहराधार सब-डिविजन में 21 एल0आई0एस और 23 एल0डब्ल्यू0एस0एस0 तथा 161 ग्रेविटी की स्कीमें हैं। मैं विशेष रुप से कहना चाहूंगा कि ये जो ग्रेविटी की स्कीमें हैं, ये बहुत पहले की बनी हुई है और अब ज्यादातर स्कीमों की पाइपें खराब हो गई है। जिसके कारण ये पाइपें जगह-जगह टूट रही है। मैंने यह बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी लाई थी। मैंने विधायक प्राथमिकता में भी इसको डाला था कि जितनी भी ग्रेविटी की स्कीमें हैं, उनकी एक डी0पी0आर0 बनाकर एकमुश्त सभी पाइपें चेंज की जाए। मेरा माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र इन स्कीमों के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से जो सरांह सब-डिविजन है, यह नाहन डिविजन के अंतर्गत आता है। इसमें भी 16 एल0आई0एस0 और 41 एल0डब्ल्यू0एस0एस0 और 85 ग्रेविटी की स्कीमें हैं। यहां भी इसी प्रकार की समस्या है। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी स्कीमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉक के माध्यम से बनी थी लेकिन आज न तो ब्लॉक और न ही सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग उनकी रिपेयर कर रहा है। जो स्कीमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनी है, उनको विभाग अपने अधीन ले लें या उनके लिए किसी प्रकार से धन की व्यवस्था करें ताकि इन स्कीमों के कारण लोगों को जो समस्याएं आ रही है, उनका समाधान किया जा सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नौहराधार जो डिविजन है और उसके अंतर्गत जो राजगढ़ सब-डिविजन आता है, उसमें लगभग मु0 80,13,820/- रुपये की जो देनदारियां हैं। जिनमें 67 पेयजल योजनाएं है और इनमें डेढ़-दो या तीन लाख का कार्य किया गया है। इनके लिए जो देनदारियां है, उनमें ऑपरेशन एण्ड मेंटेंनेस की मु0 28,86,777/- और इसी प्रकार से

इसी प्रकार से मशीनों की रिपेयर के लिए 13,87,886/- रुपये और repair of Rising Main Pipeline Civil के लिए 32,39,157/- रुपये है। कुल मिला करके लगभग 81 लाख रुपये की देनदारियां हैं। इन छोटे-छोटे कार्यों की वजह से हमारी बहुत सारी स्कीमों में परेशानियां आ रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इसके लिए धन की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार से सात स्कीमें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की हैं और इसमें 3 हैंडपंप, दूसरी मशीनरी तथा अन्य कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इसके लिए धन की आपूर्ति की जाए। इसी प्रकार से मेरे नाहन डिवीज़न में लगभग 25,63,000/- रुपये की देनदारियां हैं। इसके लिए भी धन उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में एन0आर0डी0डबल्यू0पी0 के तहत 20 स्कीमों के कार्य चल रहे हैं और इसमें लगभग 10.34 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरा आग्रह रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र नौहराधार डिवीजन के तहत इन स्कीमों का कार्य पूर्ण करने के लिए धन की आपूर्ति की जाए। इसी प्रकार से सराहां और नाहन सब-डिवीजन के अंतर्गत 16 पंचायतों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम पच्छाद से गिरी नदी पर बन रही है और इसका लगभग 8 करोड़ रुपये का एस्टिमेट है तथा 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुछ कार्य शेष है। बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए 1,78,36,000 /- रुपये की आवश्यकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करने के लिए धनराशि दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ स्कीमें और पहले भी रखी हैं कुछ स्कीमें नाबार्ड को भेजी गई हैं और इनके बारे में मैंने आपको लिख करके भी दिया है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि नाबार्ड से शीघ्रातिशीघ्र इन स्कीमों की स्वीकृति करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय राकेश पठानिया जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुख राम जी नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव ले करके आए हैं, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपका केवल दो मिनट का समय लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे पास खंड विकास में रिपेयर और मैंटेनैंस में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आज अगर मैं अपने

सब-डिवीजन की बात करूं तो वहां पर लगभग 1.75 करोड़ रुपये की लायबिलिटीज़ स्टैंडिंग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर पंपघरों में जो अनस्किल्ड लोग लगाए हुए थे, उन्होंने मोटरों को खराब कर दिया है। जिस आदमी को यह पता नहीं है कि बिजली कैसे चालू करनी है और तीन फेस पूरे आए हैं या नहीं तथा वोल्टेज़ पूरी है या नहीं, वे लोग आपने पंप घरों में लगा रखे हैं। पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपये की मोटरों को इन अनस्किल्ड लेबर वालों ने खराब कर दिया है और अब हमें इनकी मैंटेनैंस पड़ रही है। जब मैंटेनैंस की बात आती है तो हमने अभी तक पुराना राजनैतिक सिस्टम छोड़ा नहीं है। किसी ने भी नहीं छोड़ा है। अपने-अपने सहयोगियों को कनैक्शन का फायदा देने के लिए मेन लाईनों को पंक्चर कर दिया है और पूरे प्रदेश में ही यह हाल है। मेन लाइन्ज़ जहां-जहां पंक्चर हुई हैं, वहां पर सारी स्कीमें खराब हो गई हैं। केवल पांच घरों को ठीक पानी देने के लिए 500 घरों का पानी खराब कर दिया है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नूरपुर टाउन के लिए पानी चालू करने के लिए 70 जगहों से मेन पाईपलाइन को प्लग किया और जब हम इसको प्लग करते हैं और आगे पाईपें फट जाती हैं। माननीय मंत्री जी, मैंटेनैंस का इतना बुरा हाल है कि हमें करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है, अगर आपने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पैरों पर खड़ा करना है। पहला, इसके लिए आपको एडिशनल फंड्ज़ मैंटेनैंसे के लिए मेनेज़ करने पड़ेंगे। दूसरा, पानी की लीकेज़ इतनी ज्यादा है आप तो नई स्कीमों की बात कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, प्रकोलेशन वैल्ज् की बात कर रहे है, नये सोर्सिज़ की बात कर रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में 60 प्रतिशत लीकेज है। इस लीकेज को कम करके अगर आप 30 प्रतिशत ले आएं तो आपकी 90 प्रतिशत स्कीमें चल पड़ेंगी। प्रदेश में पानी बहुत है। लेकिन पानी का ठीक दोहन नहीं हो पा रहा है और ठीक उपयोग नहीं हो पा रहा है। लीकेज़ बहुत ज्यादा है और फिल्टरों को बड़ा बुरा हाल है। दो-तीन स्कीमों के ऊपर एक फिल्टर है। फीटरों का इतना बुरा हाल है कि जो कनैक्शन लगाएगा उनको एक बोतल दे देगा तो उसका कनैक्शन जोड़ देंगे और जो नहीं देगा, उसका कनैक्शन नहीं देंगे। हम कहां-कहां इनके पीछे भागते रहेंगे। जे0ई और एस0डी0ओज़ हमारे पास नहीं हैं। फीटर भी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और अगर इसका समाधान जल्दी नहीं हुआ तो हमारा पूरे-का-पूरा distribution of water will collapse and in fact it has already almost collapsed. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक फीटर

तीन स्कीमों के पीछे भागता है और फोन उठाता नहीं है तथा लोग वहां के विधायक को फोन करते हैं कि फीटर फोन नहीं

15/12/2018/1330/RKS/ए.जी.-1

उठा रहा है या बात नहीं कर रहा है। फिटर भी इंसान हैं। कई फिटर ठीक हैं और कई गलत भी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें जनरल मैंटिनैंस में पैसे दिए जाएं और इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए तुरंत फिटर्ज का अरेंजमैंट किया जाए। जब हर स्कीम में दो-दो, तीन-तीन लड़के होंगे तो वाटर लीकेज चैक होती रहेगी जिससे 90 प्रतिशत समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा(चौपाल)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत श्री सुख राम जी और मैंने यहां पर प्रस्ताव रखा था। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्रेविटी की कुल 782 और लिफ्ट की 6 स्कीमें हैं जोकि पुरानी स्कीम्ज हैं। अधिकतर स्कीमें रिपेयर और मैंटिनैंस के लिए आई हुई हैं। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो वर्ष 1975, 1980 या वर्ष 1990 की बनी हुई हैं। इन स्कीमों में अभी तक कोई भी रिपेयर नहीं हुई है और बहुत सारी स्कीमों में पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। पहले AIBP की स्कीम होती थीं जिसके तहत मेरे चुनाव क्षेत्र की 11.67 करोड़ रुपये की चार स्कीमें सैंक्शन हुई थी लेकिन अब यह स्कीम बंद हो गई है। अब इसके बदले PMKSY (Prime Minister Krishi Sinchai Yojana)योजना आई है। इसमें फंड की आवश्यकता है। कुछेक ऐसी स्कीम्ज हैं जैसे कलून वाली स्कीम थी जब तक इस स्कीम में पैसा नहीं पड़ेगा तब तक यह स्कीम पूर्ण नहीं होगी। कुछ स्कीमें CAD के तहत भी थी। इनमें भी जब तक पैसा नहीं पड़ेगा तब तक यह स्कीमें पूर्ण नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश ने भी एक 'हिमकैड' स्कीम बनाई थी जिसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तीन स्कीमें हैं और जब तक इसमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये स्कीमें पूर्ण नहीं होगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपने विषय ठीक से नहीं पढ़ा। विषय बड़ा स्पष्ट है कि जहां देनदारियां हैं उस के संबंध में चर्चा की जाए। आप इसे जनरल चर्चा में ले गए। कृपया आप संक्षेप में कहें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी के बारे में बोल रहा हूं। NRDWP(National Rural Drinking Water Programme) में मेरी कुल 55 स्कीमें हैं जिनके लिए 1.17 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है लेकिन इनका कार्य पूर्ण करने के लिए 13 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जब तक यह 13 करोड़ रुपये उपलब्ध नहीं होंगे तब तक ये 55 स्कीमें पूर्ण नहीं होगी। जितनी भी स्कीमें हैं इन सभी स्कीमों की देनदारियां हैं। जब पैसे आएंगे तब ही ये स्कीमें पूर्ण होगी। एम.एन.पी. में भी 9 स्कीमें हैं इनमें भी जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक ये पूर्ण नहीं होगी। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो वर्ष 2004 से शुरू हुई थी और आज तक पूर्ण नहीं हुई हैं । लिफ्ट की 17 स्कीमें ऐसी हैं जो वर्ष 2010 से पहले शुरू हुई थी और आज तक पूर्ण नहीं हुई । इन सबमें कुछ देनदारियां देने को हैं। इनका कार्य पूर्ण करने के लिए जब तक 12-13 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये 17 स्कीमें पूर्ण नहीं हो सकती। मेरी माननीय मंत्री से विनती है मेरे चुनाव क्षेत्र में हर गर्मी के मौसम में मेरे और जो भी सरकार हो मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। मेरा चुनाव क्षेत्र एक छोर से दूसरे छोर तक 210 किलोमीटर है। इसकी 45 पंचायतें टॉप क्षेत्र में हैं। यहां पानी की इतनी किल्लत है कि लोग खच्चरों, घोड़ों के माध्यम से पानी लाने की मनैजमैंट करते हैं। आज की तारीख में पानी की दृष्टि से सबसे इंटिरियर चौपाल विधान सभा क्षेत्र है। मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि इसके लिए कुछ-न-कुछ बजट प्रावधान किया जाए। हमारी जो 17 पानी की स्कीमें हैं वे वर्ष 2004 से पूर्ण नहीं हुई है। दूसरा, जो मशीनरियां

हैं उनमें भी स्टाफ की भारी कमी हैं। टैक्निकल स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है न ही फिटर हैं । जब तक आप स्टाफ नहीं भरेंगे तब तक जो चालू स्कीमें हैं वे भी बंद हो जाएंगी मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप स्टाफ को भरने की कृपा करें। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो मेरी 17 पानी की स्कीमें हैं उनके लिए सरकार पैसा का प्रावधान करें ताकि वे पूरी हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अंतिम वक्ता श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुख राम जी व माननीय सदस्य श्री बलबीर वर्मा जी ने जो यहां पर चर्चा लाई है उसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि हमारे बड़सर विधान सभा चुनाव क्षेत्र में पिछले 6 वर्ष से 35 करोड़ की एक व्यास उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण होना है। लेकिन आज दिन तक भी वह अधर में लटकी है। उसकी वजह से हमारी 10 पंचायतों में पानी की कठिनाई आ रही है। अभी जैसे-जैसे गर्मी का मौसम आता जाएगा वहां पर 15-15 दिन पानी नहीं आता है। लोग अपने पैसे से 2-2 हजार रुपये के पानी के टैंकर मंगवा कर पानी भरते हैं। अभी पिछले वर्ष देहरादून से एफ.सी.ए. का केस कलियर हुआ, फिर दोबारा से एफ.सी.ए. का केस कलियरेंस के लिए देहरादून को भेजा गया। फिर कलियरेंस आ गई और अब दोबारा से वन विभाग ने उसमें ओबजर्वेशन लगा दी है। माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग और आई.पी.एच. के जो अधिकारी हैं इनका आपस में समन्वय नहीं है। जब एक बार ओबर्जेशन लगा दी जाती है तो बार-बार क्यों फिर से वह लगाई जा रही है। इससे विभाग की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं और लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ा है और हमें भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। बार-बार बोलने के बावजूद

भी यह स्कीम 6 वर्षों के अंदर पूरी नहीं हो रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसका विशेष तौर पर संज्ञान लें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आई.पी.एच. विभाग के जो आपके कर्मचारी व अधिकारी हैं उनकी ओवर हालिंग करना भी बहुत जरूरी है। आपके अधिशाषी अभियंता मौके पर नहीं जाते। आपके एस.डी.ओ. मौके पर जाते हैं । एस.डी.ओ. अपने नीचे कार कर रहे कनिष्ठ अभियंता पर सारा भार छोड़ देता है। जो हमारी गैलरीज हैं उनकी देख-रेख तक नहीं की जाती है। लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ऐक्टिव हैं मैं चाहूगा कि वे इन अधिकारियों पर अवश्य नजर रखें। जब तब ये फिल्ड पर नहीं जाएंगे तब तक सही काम नहीं हो सकता। माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने यहां पर कहा कि सारी-की-सारी मेन लाइने पंचर कर दी गई हैं। मैंने स्वयं विधान सभा सत्र शुरू होने से पहले दौरे पर था तो एक जगह मैंने देखा कि फिटर मेन लाइन से कनेक्शन दे रहा है। मैंने उससे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले आपको अपने अधिकारियों से बात करनी चाहिए। आपको अलग से चैंबर बनाना चाहिए। यदि आपको सामान की आवश्यकता है तो उसे आपको लेना चाहिए । किसी-किसी स्थान पर 15 घरों में पानी आ रहा है 15 को नहीं आ रहा है । इस प्रकार की आज व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए जब तब अधिकारी गावं में नहीं जाएंगे तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कनिष्ठ अभियंता तब तक गांव में नहीं जाता जब तक हम खुद उसको फोन नहीं कर देते। जब हम अधिशाषी अभियंता से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं है। गांव के लोग फिटर के ऊपर निर्भर होते हैं। फिरट भी मजबूर होते हैं और उस हालत में कुछ-न-कुछ कह देते हैं। लेकिन आपस में तालमेल नहीं है, उसे बनाना अति आवश्यक है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो हाल ही में बाढ़ आई थी उसमें जो स्कीमों को नुकसान हुआ है उनकी मरमत के लिए भी पैसे की भारी आवश्यकता है। ताकि हमारा कार्य सुचारू रूप से चल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री अब चर्चा का उत्तर देंगे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सुख राम जी एवं आदरणीय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने नियम 130 के अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी देन-दारियां हैं उसके ऊपर चर्चा लाई है।

15/12/2018/1340/RG/DC/1

इस चर्चा में आपके बहुत वरिष्ठ सदस्य ने भाग लिया है, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, वस्तुस्थिति इस प्रकार से है :-

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेयजल तथा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध है। वर्तमान में 9,516 पेयजल योजनाओं के द्वारा पूरे प्रदेश में लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन योजनाओं में 6,721 बहाव पेयजल योजनाएं, 2,391 उठाऊ पेयजल योजनाएं तथा 404 ऐसी योजनाएं हैं जो टियूब वैल पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित भूजल दोहन कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्पों की स्थापना की जा रही है तथा अब तक 38,784 हैण्डपम्पों की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की जा चुकी है। इसी प्रकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान में 2,669 सिंचाई योजनाओं द्वारा प्रदेश की लगभग 2,73,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 19 शहरी स्थानीय निकायों में मलनिकासी योजनओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा यह योजना कार्यरत है। विभाग द्वारा हर वर्ष सैंकड़ों योजनाएं चालू/पूर्ण की जा रही हैं तथा योजनाओं का उचित रख-रखाव तथा चिरस्थाई हल के लिए अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमें सभी योजनाओं के सफल संचालन एवं उचित रख-रखाव के लिए हर वर्ष पर्याप्त बजट तथा मैन पॉवर की आवश्यकता होती है। परन्तु समय के साथ-साथ योजनाओं में वृद्धि हो रही है। जबकि श्रमशक्ति, मैन पॉवर में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2005 में 16,127 कर्मचारियों के पदों को डाइंग कॉडर घोषित कर दिया गया है। जिनमें से अब तक 7215 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात इन पदों के विरुद्ध डाइंग कॉडर होने के कारण कोई भी नियुक्ति/भर्ती नहीं होती जिसके कारण वर्तमान में विभाग में पर्याप्त मैन पॉवर का अभाव है तथा विभाग द्वारा मजबूरन इन

योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ योजनाओं को ऑऊटसोर्स भी किया गया है अर्थात इनके संचालन का जिम्मा ठेकेदारों के पास दिया गया है। यहां यह भी बताना उचित होगा कि ठेकेदारों के पास कुशल श्रमिकों के न होने के कारण पम्पिंग मशीनरी इत्यादि का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता तथा विभाग को पम्पिंग मशीनरी इत्यादि की मरम्मत पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इन सभी योजनाओं में से यदि किसी योजना की मशीनरी में तकनीकी खराबी आ जाती है अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक पाइपों की टूट-फूट इत्यादि होती है तो उसे समय पर ठीक करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि कुछ योजनाएं बहुत पुरानी हैं, उनकी डिजाईन्ड लाईफ पूर्ण हो चुकी है तथा इनके पुनर्निर्माण न होने के कारण रख-रखाव पर अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त धनराशि/बजट न होने के कारण समय पर भुगतान नहीं हो पाता तथा देनदारियां शेष रह जाती हैं। इस वित्तीय वर्ष में योजनाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए केवल 84,76,78,000/-रुपये का प्रावधान है। जोकि इतनी परियोजओं के संचालन व रख-रखाव के लिए अपर्याप्त है। यही नहीं इस वर्ष अत्यधिक वर्षा व आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण विभाग की 6,602 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुईं जिन पर 430.04 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना मूलभूत सेवा व अति आवश्यक कार्य है। अतः विभाग द्वारा इन परियोजनाओं को तुरन्त बहाल करने हेतु विभाग में उपलब्ध बजट व पाईप तथा निर्माण सामग्री का भी उपयोग किया है तथा योजनाओं को जनमानस के हित में तुरन्त प्रभाव से बहाल करवाया गया ताकि सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जबकि इन योजनाओं की बहाली के लिए

15/12/2018/1345/MS/AG/1

430 करोड़ 4 लाख रुपये के एवज़ में केवल 10 करोड़ रुपये मिले हैं। वर्तमान में प्रदेश में चलाई जा रही पेयजल, सिंचाई एवं अन्य कार्यों की कुल 88 करोड़ 9 लाख 5 हजार की देनदारियां शेष हैं। इस राशि में से मार्च, 2018 तक 23 करोड़ 11 लाख 54 हजार रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष में मु0 64 करोड़ 97 लाख 51 हजार रुपये हैं। वित्त व जोनवाइज ब्योरा इस प्रकार है। माननीय अध्यक्ष जी, शिमला जोन में जो लायबिलिटीज अप-टू-डेट थी वे 56 करोड़ 84 लाख 72 हजार की थी। हमीरपुर जोन में 61 करोड़ 14 लाख 63 हजार की थी। धर्मशाला जोन में 35 करोड़ 86 लाख 81 हजार की थी और मण्डी जोन में 18

करोड़ 99 लाख 67 हजार रुपये थी। इस तरह कुल मिलाकर 172 करोड़ 85 लाख 83 हजार रुपये की देनदारियां थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसकी एवज़ में जो हमें 84 करोड़ 76 लाख रुपया मिला उसमें से हमने जो पिछली लायबिलिटी थी, उनको पूरा कर दिया है लेकिन 88 करोड़ 9 लाख 8 हजार एक ऐसी लायबिलिटी है जो अभी हमारे सामने खड़ी है। इस सदन में जितने भी सम्माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक बहुत गम्भीर समस्या हो गई है। हम जहां भी जाते हैं, आप लोग भी कई बार मुझे कह चुके हैं और मेरे विपक्ष के साथी भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे डिवीजनों की बहुत बड़ी लायबिलिटी खड़ी है। जितने भी अधिशाषी अभियन्ता हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये शिमला के एनर्जी चार्जिज के भुगतान हेतु देनदारियां शेष हैं। इस प्रकार से वर्तमान में कुल देनदारियां इस प्रकार हैं। योजनाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए 88 करोड़ 9 लाख रुपया है। इस बार बहुत ज्यादा वर्षा और बिना समय बर्फबारी होने की वजह से हमारा 420 करोड़ 4 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, वह देनदारी खड़ी है। शिमला जल प्रबंधन निगम लि0 नगर निगम, शिमला को एनर्जी चार्जिज के भुगतान की 80 करोड़ रुपये की लायबिलिटी है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन रहेगा कि देनदारियों की यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या आज हमारे सामने है। मैं इनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये जो 88 करोड़ रुपये की हमारी लायबिलिटीज हैं इसे क्लीयर करने में आपका आशीर्वाद हमें मिले ताकि आने वाले महीनों में, क्योंकि 3-4 महीनों के उपरान्त दुबारा से गर्मी पड़ेगी और गर्मी पड़ने से पहले-पहले यदि हमारी पिछली लायबिलिटी क्लीयर होगी तभी हम आगे भी काम कर पाएंगे अन्यथा एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अगर किसी सब-डिवीजन में कहीं कोई सॉकिट भी टूट जाता है और किसी सप्लायर के पास सॉकिट लेने के लिए मेरा जे0ई0 या सुपरवाइजर जाता है तो वह कहता है कि पहले मेरा पिछला पैसा दे दो, फिर अगला सामान मिलेगा। ...(व्यवधान)... मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा किसी की वजह से हो रहा है। काम करते समय खर्चा होता है। मैं ज्यादा क्या कहूं, मैं तो मुख्य मंत्री जी से यही विनम्र प्रार्थना कर सकता हूं कि आप अपना आशीर्वाद दें और हमारी मदद करें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा नियम-130 के अंतर्गत सदन में हुई है। जिस प्रकार से हमारी सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं की देनदारियों के बारे में बताया गया, यह बहुत बड़ी राशि है जोकि लगभग 172 करोड़ रुपये की है। हालांकि 84

करोड़ रुपये के लगभग देनदारियां हो गई हैं। यह बात भी ठीक है कि जब तक देनदारियां हम चुकता नहीं करेंगे, तब तक हमें आगे मैंटीनैंस करने की दृष्टि से कठिनाई आएगी। हम आने वाले समय में 88 करोड़ रुपये की जो देनदारियां बची हैं उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि किस प्रकार से उनकी अदायगी की जा सकती है और प्राथमिकता के आधार पर फेज्ड मैनर में इसका प्रावधान करने की कोशिश करेंगे।

15.12.2018/1350/जेके/एचके/1

नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम-344 के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2018 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम-4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलंबित किया जाए।

अध्यक्षः जो वस्तुस्थिति है हमारी 35 बैठकों की बजाय आज 34वीं बैठक है। एक बैठक की कमी को ले कर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की सहमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

तो प्रश्न यह है कि यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2018 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकें न होने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 1973 के नियम-4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलंबित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अध्यक्षः अब सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह जी, सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल गया है, अब कितनी बार मिलेगा? ठीक है, बोलिए।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं नियम-306 के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 12 दिसम्बर को जब यहां पर एक नोटिस जो नियम-67 के अन्तर्गत एडजॉर्नमैंट के लिए रखा था, उसमें चर्चा में भाग लेते हुए इन्होंने मेरे ऊपर कुछ व्यक्तिगत दोष लगाएं। कहा गया कि मैंने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उपाध्यक्ष रहते समय तो नियमों को चलाते रहे और विपक्ष में जाने पर, तो इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूचनाएं आपको अधिकारियों ने दी हैं, आपको बिल्कुल गुमराह किया गया है। नियम-67 का बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस था। पूरे जनजातीय क्षेत्र के लोगों की भलाई का था और 20,000 से ज्यादा लम्बित केसिज़ के बारे में था।...(व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर ही बात करें। आप नियम-67 के विषय में नहीं बोलेंगे। आप स्पष्टीकरण में कौन सा शब्द आपको आपत्तिजनक लगा, उसकी बात करें।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष जी, जो कहा गया कि नियमों की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई है, उसके बारे में मुझे कहना पड़ेगा कि धज्जियां उड़ाई या नहीं, उसके बारे में तो मुझे बोलना पड़ेगा।

अध्यक्षः देखिए, अगर आपके बारे में कुछ आपत्तिजनक कहा है, तो आप बताएं।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी तथ्य थे, वे मैं हाउस में ले कर देता हूं। मैं डॉक्युमैंट्स ले कर देता हूं।

अध्यक्षः ठीक है, आप डॉक्युमैंट्स ले कर दें।

श्री जगत सिंह नेगीः मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे समय नहीं दिया जाए, कोई बात नहीं परन्तु कृपया मैं डॉक्युमैंट्स ले कर देता हूं । मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि इसके अंदर जो तथ्य हैं, उन पर आप गम्भीरता से विचार करें अन्यथा मज़बूर हो कर हाउस को गुमराह करने के बारे में मुझे प्रिविलेज मोशन लाना पड़ेगा। धन्यवाद।

15.12.2018/1355/SS-HK/1

अध्यक्षः मैं समाप्ति वाली बात से पहले माननीय सदस्यों को कुछ तथ्य ध्यान में लाना चाहूंगा क्योंकि हमारी स्मृतियां शॉर्ट रहती हैं और पुराने सदस्य होने पर भी हमारे ध्यान से उतर जाता है। यह छः दिन का सत्र था और जो भी विंटर सैशन्ज़ हुए हैं, मेरे पास 2005 से ले करके 2018 तक के विंटर सैशन्ज़ की डिटेल है। 2005 में नियम-62 के अंतर्गत एक मामला लगा। नियम-63 में एक मामला लगा। नियम-101 में 4, नियम-117 में एक, नियम-130 में 6, कुल 13 मामले चर्चा के लिए लगे। इसी प्रकार 2006 में 9 मामले लगे। 2008 में 13 लगे, 2009 में 14 लगे, 2010 में 8 लगे, 2011 में केवल 2 मामले लगे। 2013 में 9 लगे, 2014 में 12 लगे, 2015 में 7 लगे और 2016 में केवल 5 मामले लगे। 2017 में क्योंकि महामहिम का अभिभाषण हुआ, नई सरकार थी इसलिए विषय लगने नहीं थे। मुझे बताते हुए यह संतोष होता है कि 2018 में 17 मामलों के ऊपर विस्तृत चर्चा इस सदन में हुई है। नियम-62, 63, 102, 101, 130 में इतने विस्तार से चर्चा देने के बाद भी अगर माननीय सदस्य आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करें तो वह उचित नहीं है। ...(व्यवधान)... प्लीज़ मैं पूरी बात कर लूं। आपकी (श्री मुकेश अग्निहोत्री जी) बारी आ रही है।

अच्छी बात है, हम तो यही कह रहे हैं कि माननीय सदस्य जितना बिजनैस देंगे, उतना काम होगा। परन्तु सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी को आपत्ति रहेगी तो ठीक बात

नहीं है। एक व्यक्ति को पूरे सदन में 20 बार बोलने का मौका मिल गया, उसके बाद भी आपत्ति है तो वह उचित नहीं है। बहुत से सदस्य हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला। हम वरिष्ठ सदस्य हैं, सब की चिन्ता करें। सब के बारे में सोचें। केवल अपने बारे में न सोचें।

आज शीतकालीन सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस सत्र के दौरान कुछ 6 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों व अन्य सूचनाओं के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिए गए, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रदेश हित के अनेक विषयों पर बहुमूल्य सुझाव दिए। इस सत्र के दौरान कुल मिलाकर तारांकित 304 तथा 92 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

नियम-62 के अंतर्गत 5 विषयों, नियम-63 के अंतर्गत एक विषय व नियम-130 के अन्तर्गत 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें माननीय सदस्यों ने सार्थक चर्चा की। इसके अतिरिक्त नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प भी सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा नियम-101 के अंतर्गत तीन गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई, जिसमें एक संकल्प जो पिछले सत्र में प्रस्तुत हुआ था, उस पर भी चर्चा हुई।

15.12.2018/1400/केएस/एचके/1

पांच सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित एवं सार्थक चर्चा उपरान्त पारित किए गए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 9 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना उपलब्ध करवाई।

सभा की समितियों ने भी 45 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किये। इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों की सूचनाएं जिन पर समय के अभाव के कारण, मैं स्पैसिफिकली यह रिपीट कर रहा हूं, समय के अभाव के कारण जैसे राकेश सिंघा जी ने भी विषय रखा, चर्चा नहीं हो सकी तथा कुछ सूचनाएं नियमों की परिधि में न आने के कारण अस्वीकृत की गई। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन व नियमों की

प्रतियां भी सदन के पटल पर रखी गई। मुझे इसके लिए पूरे सदन को बहुत-बहुत बधाई देनी है और बहुत-बहुत धन्यवाद देना है।

सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले जिसमें मैं काफी हद तक कामयाब भी रहा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी के सहयोग का भी धन्यवादी हूं जिन्होंने लगातार हाउस में बैठकर सदन की गरिमा को बढ़ाया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी का, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी मुझे आभार व्यक्त करना है।

मैं विधान सभा सचिवालय के सचिव, समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं और कांगड़ा जिला प्रशासन का, जिलाधीश, एस.पी. व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का जिन्होंने दिन-रात इस सत्र की व्यवस्था, हमारे रहने की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन के अंदर घटी घटनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

अनेक प्रकार से सदन महत्वपूर्ण रहा और इसमें सभी के सहयोग के लिए मैं बार-बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपको बधाई और शुभ कामनाएं देना चाहता हूं कि इस साल का यह अन्तिम सत्र है और जब हम अगले साल बजट सत्र में मिलेंगें, उससे पहले हम ईस्वी सम्वत् 2019 में प्रवेश कर जाएंगें तो ईस्वी सम्वत् 2019 के लिए भी मैं हृदय की गहराई से सभी प्रदेश वासियों को आपके माध्यम से बधाई देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगें।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यह शीतकालीन सत्र जो 6 दिन का रहा, आज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा यह सत्र यहां धर्मशाला में बहुत ही अच्छे वातावरण में सम्पन्न हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में यह खूबसूरती है कि अपनी बात हम कहें, अपनी बात वो कहें और उसके बाद दोनों में ठीक क्या है, उस ठीक को ठीक मान कर चलें। ऐसे दौर इस माननीय सदन में एक बार नहीं, अनेक बार प्रस्तुत हुए। जिसके कारण आगे बढ़ने का बहुत अच्छा रास्ता, मिलकर चलने का रास्ता जो हिमाचल प्रदेश को उज्जवल दिशा की ओर ले जाता है, उसमें हम सब लोग सफल हो रहे हैं। आम तौर पर सत्र एक सप्ताह में पांच दिन का होता है और शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है लेकिन हमने इस बात पर विचार किया कि हम सोमवार से शनिवार तक, शनिवार को भी वर्किंग डे के रूप में रखेंगे।

15.12.2108/1405/AV/AG/1

और उसके पीछे यह कारण है कि उस 35 सीटिंग्ज के लक्ष्य के नज़दीक पहुंचे। पूरे देश में शायद बहुत कम विधान सभाएं ऐसी हैं जो अपने शैड्यूल को पूरा करती है। हमारी कोशिश यह थी कि हम 35 की 35 सीटें पूरी करें मगर उसके बावजूद एक सीटिंग की कमी रह गई। इसका कारण यह है कि पिछला विधान सभा का शीतकालीन सत्र बहुत छोटा हुआ था। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद वह पहला सत्र था। पहला सत्र होने के कारण बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जिसमें विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव व शपथग्रहण शामिल है। इसलिए कुछ समय उसमें निकल गया लेकिन आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि 35 सीटिंग्ज का केलेंडर पूरा हो। विधान सभा का सदन ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी वह बात रख सकते हैं जिस काम के लिए हमें यहां चुनकर भेजा है। ठीक है, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनहित में काम करने का हमारा दायित्व है और इसका निर्वहन हम सब लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार करते रहते हैं। मगर वास्तव में अगर हम विधायी कार्य की बात करें जिससे 'विधायक' शब्द सामने आया। भविष्य में विधायी कार्य की दृष्टि से और क्या-क्या चीजें की जा सकती है, क्या-क्या नये ऐक्ट लाये जा सकते हैं या उसमें बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर हिमाचल के लिए क्या-क्या संशोधन किए जा सकते हैं; उन सारी बातों के लिए यह

मान्य सदन ही एक उचित स्थान है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में 35 सीटिंग्ज का जो एक शैड्यूल बना हुआ है इसको हम आने वाले समय में हर बार पूरा करें, ऐसी मेरी मन्शा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस मान्य सदन में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई हैं और चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया तथा काफी हद तक चर्चा सार्थक भी रही। ठीक है, हमारा यह सत्र 10 दिसम्बर, 2018 को शुरू हुआ और 11 दिसम्बर, 2018 को हमारे कुछ राज्यों के चुनाव परिणाम आए। उन परिणामों का यहां असर भी दिखाई दिया। ...(व्यवधान)... मिठाई तो नहीं खिलाई लेकिन खिलाएं तो अच्छा रहेगा। इन्होंने नहीं खिलाई क्योंकि ये लोग अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं इसलिए उन सारी चीजों का सम्मान करते हुए चुनाव हुए और उनके परिणाम आए। कुछ राज्यों में जहां हमारे मित्र कई वर्षों से नहीं थे वहां आपको कुछ सालों के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं व बधाई देता हूं मगर उससे बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरुरत नहीं है। यहां पर लोग 2 या 3 महीने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं कि कौन कहां था। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम सबके दायित्व का सम्मान होना चाहिए। धर्मशाला में 6 दिन के इस सत्र के दौरान बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है क्योंकि यह एक अलग परिस्थिति का सत्र होता है। शिमला से धर्मशाला पहुंचने के लिए काफी लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। यहां पर सभी माननीय सदस्य पहले दिन कुछ असुविधा में रहे। लेकिन सरकार, विधान सभा सचिवालय और जी0ए0डी0 की की ओर से पूरी कोशिश रही कि किसी भी माननीय सदस्य को कोई असुविधा न हो।

15.12.2018/1410/TCV/AG/1

हमने उनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी यदि किसी को असुविधा हुई हो तो उन बातों को यहीं छोड़ दें और अच्छी स्मृतियां यहां से लेकर जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस विधान सभा सत्र के दौरान बहुत मेहनत से काम करते हैं। वे इस विधान

सभा के संचालन में हमें बड़ा सहयोग देते हैं। मैं विधान सभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका भी सत्र के दौरान बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब यह सत्र होता है, उस व़क्त उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सारा समय इसमें लगाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। शायद आज कुछ माननीय सदस्य जल्दबाज़ी में निकल गए हैं। लेकिन सभी को सत्र के समापन तक रहना चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी क्षमतानुसार यहां विषय उठाएं और उनमें कई बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। कुछ बातें सचमुच में हट करके हैं। यहां जब हिमालयन रेजीमेंट की बात हुई तो उसमें सभी माननीय सदस्यों की सहमति थी। ड्रग्स जैसे मुद्दों पर भी सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। कई बहुत सारे मुद्दों पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भिन्न-भिन्न विचार रखने के बावजूद भी एकमत हुए हैं। इसके लिए मैं विपक्ष नेता माननीय श्री अग्निहोत्री जी और माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे लगता है कि यह पूरा सत्र ही अच्छा रहा है। मुझे नही मालूम की हमारे ठण्ड़े इलाके के माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी क्यों इतने गर्म है। मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप ठण्डे इलाके और सर्दी का मौसम होने के कारण शान्त रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप गर्मी में ही रहे। हमारी कभी इस प्रकार की भावना नहीं रही कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। मैंने एक-एक शब्द देखा जिसमें आपने मांग की थी कि मुख्य मंत्री ने मेरे खिलाफ़ क्या बोला है? हमने आपके खिलाफ़ क्यों बोलना है? हम किसी के खिलाफ़ बोलते ही नहीं है। फिर भी न मालूम कि कौन से शब्द का चयन गलत हुआ जिसके कारण आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची और आप यहां तक कहने लग पड़े कि हम विशेषाधिकार लाएंगे। लेकिन विशेषाधिकार का कोई विषय नहीं है । इस मान्य सदन में मुख्य मंत्री के कहे कई ऐसे शब्द भी रिकॉर्ड में आ गए थे जो बहुत गंभीर थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। मैं इस सदन के सबसे वरिष्ठतम नेता जो वर्षों तक हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे, आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी इस सदन में उपस्थिति

हमारे लिए सचमुच में बहुत गम्भीरता लाती है। यहां सत्र काफी लम्बे-लम्बे समय तक भी चला और हम में से कई नौजवान सदस्य कई-कई बार यहां से अंदर-बाहर गये। वे पूरा समय सदन के अंदर नहीं बैठ पाए। लेकिन आपने सुबह से शाम तक यहां सदन में अपनी उपस्थिति रखी। ये सचमुच में हमारे लिए खुशी का विषय है।

15-12-2018/1415/NS/AG/1

हमारे मीडिया जगत के सभी मित्रों ने सत्र के कवरेज़ के लिए बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मीडिया हमारे लोकतंत्र का एक स्वतंत्र चौथा स्तंभ होता है और इस भावना के साथ इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इनके सहयोग के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से मैं सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो,की कामना करता हूं। क्योंकि हमारा अगल विधान सभा सत्र नये साल में शुरू होगा और इस बार बजट सत्र की संभावना लग रही है कि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसी परिस्थिति में केंद्र का बजट वोट ओन अकाउंट के रूप में आएगा। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र की शुरूआत का जो निर्धारित समय होता था, उससे थोड़ा पहले होगा। इसलिए हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं तो बिछड़ने का गम नहीं है। मैं आप सबको नये वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी सत्र के समापन पर अपनी बात कहें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र समाप्ति की तरफ अग्रसर है और इस सत्र में अंतिम समय तक काम हुआ है। अंतिम क्षणों तक मुद्दे रखे गए हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सत्र में पक्ष और विपक्ष आमने-सामने होता है। हम तो चाहते थे कि जो 24 घंटे बाकी बचे थे, उसमें भी हम आमने-सामने रहते। लेकिन शिक्षा मंत्री ने एक दिन की मौहलत मांग ली। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली दफा 35 के 35 दिन हम आमने-सामने रहेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो ईश्यूज़ हैं, उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है और हमें इसलिए भेजा है कि हम सरकार पर नज़र रखें, आपके फैसलों पर नज़र रखें, कहीं आप बड़ी तेज़ी करने लगे तो हम ब्रेक का काम करें। इसलिए हम यहां बैठे हैं। पिछली बार आप इस तरफ थे। मुझे लगता है कि कई बार आपको हमारे नज़र रखने पर गुस्सा आता है। कई

बार जब आप तेज़ चलते हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं। तब आपको लगता है कि विपक्ष वाले ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ स्मरण करवाना चाहता हूं कि जब आप विपक्ष में थे तो अब के 8-9 मंत्री पक्ष के साथी थे। हम आपके सामने काम को अंजाम दे रहे हैं। आपने उस समय पूरा बजट सत्र जिसकी 24 बैठकें थी, बिल्कुल काम नहीं किया और न ही करने दिया। मुझे मालूम है कि आज के मुख्य मंत्री उस समय भी इस बात के खिलाफ़ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन 24 के 24 दिन मेज़ थपथपाए जाते रहे। इसके बावजूद भी हम एजैंडा ले करके आ रहे हैं और आपके सामने एजैंडा डिस्कस कर रहे हैं। विपक्ष के जो अधिकार हैं, उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर विधान सभा सत्र हुआ, कई तरह की शंकाएं खड़ी की जाती हैं कि यह विधान सभा समाप्त कर दी जाएगी। यह इसका अंतिम सत्र है। मेरा आपसे आग्रह है कि धर्मशाला की जो यह विधान सभा है, इससे लोग भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रदेश को जोड़े रखने का यह विधान सभा काम कर रही है। इस पर जो बयान आते हैं कि इसमें यह खोल दो, वह कर दो। ठीक है, विधान सभा से जुड़ी कोई भी

15/12/2018/1420/RKS/डी.सी-1

जैसा स्पीकर साहब का बयान आया था कि अकादमी खोलनी है वह विधान सभा से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन आप यह कहेंगे कि इसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे तो ऐसा कोई कदम न उठाया जाए और अगली दफा भी हम इसी भावना से यहां पर मिलें। हमारे साथी श्री होशयार सिंह जी यहां उपस्थित नहीं है। इन्होंने सत्र से पहले सीमेंट के दामों पर बहुत शोर मचाया। मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ कुर्सी पर बैठकर उन्होंने यह चर्चा समाप्त कर दी या माननीय मंत्री जी ने ऐसा हाथ फेर दिया कि यह मसला नदारद हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम 'जनमंच' और इस चर्चा में भाग लेने से पहले ही कल आपके साथी भाग गए। हम चाहते थे कि इसमें चर्चा हो। आप फ्लैगशिप प्रोग्राम में चर्चा लेकर आए। हाउस चलाना सत्ता पक्ष का अधिकार है लेकिन आपके साथी भाग गए। यह अच्छा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बहुत सार्थक चर्चाएं हुई हैं। खासतौर पर हमारे साथी श्री नेगी जी ने यहां पर पूरा तापमान बना कर रखा। दूसरी तरफ हमारे साथी विधायक श्री राकेश पठानिया जी ने यहां पर बहुत अच्छे

ढंग से इश्यूज उठाए । श्री राकेश पठानिया जी को जितनी जल्दी मंत्री बनाया जाए उतना अच्छा है। ...(व्यवधान)...माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर नशे पर चर्चा हुई और आप इस पर कानून लेकर आए और इसे पारित भी किया गया। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें कोई किन्तु-परन्तु की बात नहीं है। जो आपने फैसला लिया है हम आपके साथ हैं। सिंथैटिक ड्रग्स जैसी जो चीजें आई हैं उनके साथ सख्त कानून के तहत ही निपटा जा सकता है। इसमें कोई बीच का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता और सदन ही इसकी शुरूआत का सही मंच है। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप डायरेक्टर जनरल पुलिस को डायरैक्शन दें कि जब तक यह बिल पास नहीं होता तब तक थानों में सिंथैटिक ड्रग्स मे जमानत न दें। मसला कोर्ट में जाने दें लेकिन जो थानों में 5 ग्राम से नीचे जमानतें हो रही हैं ये कतई न हो। चिटफंड कंपनियों में भी ऐसा ही था। ऊना में तो यह बहुत बड़ा मसला था इसे भी नोन बेलेबल किया गया है। माननीय महेन्द्र सिंह जी हिमालयन बटालियन को लेकर यहां पर बहुत अच्छा संकल्प लेकर आए। एस.जे.वी.एन.एल. को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र में आपको अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर आपको कहीं भी लगे कि मैं आहत हुआ हूं, प्रतिपक्ष किसी भी तरह से आपको आहत करने की मंशा नहीं पाले हुए हैं। हम चरित्र-हनन की बात नहीं करते। हम तो मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब उन मुद्दों को लेकर आएंगे

15.12.2018/1425/बी.एस./वाई.के./-1

नोंक-झोंक भी होगी, तकरार भी होगी अन्यथा आप यही कोशिश करेंगे कि विपक्ष स्रोता बनकर बैठा रहे तब यह व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए जो भी इश्यू हम ले करके आते हैं वह जनता के इश्यूज होते हैं। आज के पास जो लोग आते हैं वे लोग फिर हमारे पास भी आते हैं। आपके पास ट्रास्फर रद्द करने के लिए आते हैं और फिर हमें बताते हैं कि जो आपने हमारी ट्रास्फर की थी हमने उसे रद्द करवा दिया चाहे तो हमारी शक्ल नोट कर लो। इस ढंग से आज व्यवस्था चल रही है। लेकिन बहुत बढ़िया सत्र चला है। माननीय

अध्यक्ष महोदय, आप से भी तकरार हुई नोंक-झोंक हुई। परंतु ये सब प्यार की नोंक-झोंक है। इसका कारण यह था कि हम अपना ज्यादातर एजेंडा लगवा सकें। हम नहीं चाहते कि सरकार आप पर किसी तरीके से हावी हो। हम यह सब सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार माननीय अध्यक्ष पर हावी होने की कोशिश न करे।

अध्यक्ष : इसका मतलब आप बिना पानी के ही पुल बना रहे हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : ताकि हमारा एजेंडा परोपर लगता रहे। वैसे भी विपक्ष का स्पीकर पर ज्यादा अधिकार है। हमारे समय में जब बुटेल साहब आते थे तो सीधे विपक्ष को ही नमस्कार करते थे । हम जब उनसे मिलने जाते थे तो कहते थे कि एक दिन हमें भी नमस्ते किया करो। आप हमेशा विपक्ष से आंख मिलाते रहते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय आप ढंग से हमारे साथ आंख नहीं मिला रहे हैं।

अध्यक्ष : मैं आंखे टेढ़ी करके नहीं मिलाना चाहता।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप हमारे माननीय सदस्य आदरणीय नेगी जी पर चढ़ाई कर रहे हैं। हम तो कह रहे है कि आप हमारी बात सुने, हमें उम्मीद है कि जो भी सदन में हुआ, यदि कोई किसी इश्यू पर आहत हुआ है किसी को लगा हो कि उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं समझता हूं कि यह सब हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई के लिए हुआ है। पूरे प्रदेश के कल्याणकारी रास्ते पर चलाने के लिए यह सदन है। जब हम सदन से बाहर जाएं तो बिल्कुल यहां से खुशि-खुशि जाएं । मैं अपने और अपने दल की तरफ से माननीय मुख्य जी और मंत्री मंडल का आभार व्यक्त करता हूं और सभी विधायकगण, अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय का और प्रैस के मेरे सभी बंधुवर खासतौर से मैं विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने शिमला से आकर सारी व्यवस्था की और इस सत्र का संचालन किया इन सब का मैं आभार जताना चाहता हूं। हमारा सदन गरिमापूर्ण तरीके से चलता रहे और खसतौर से हमारे शीर्ष नेता, हमारे मार्ग दर्शक आदरणी वीरभद्र सिंह जी, जो हमारे साथ बैठते हैं । हमें इनका

नेतृत्व, इनका मार्गदर्शन मिलता है। आपने देखा होगा कि इन्होंने अन्य सदस्यों से ज्यादा समय सदन को दिया है। मैं इनका भी आभार जताता हूं। सदन की कार्यवाही समापन की तरफ अगरसर हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, पुनः सभी का आभार।

अध्यक्ष : इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित सभी से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े जो जाएं।

(सभामण्डप में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

राष्ट्रीय गीत गाया गया

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

धर्मशाला- 176215 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 **सचिव।**

****